खण्ड-155, अंक-4
बुधवार, 16 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(7 सितम्बर, 1955 ई0)

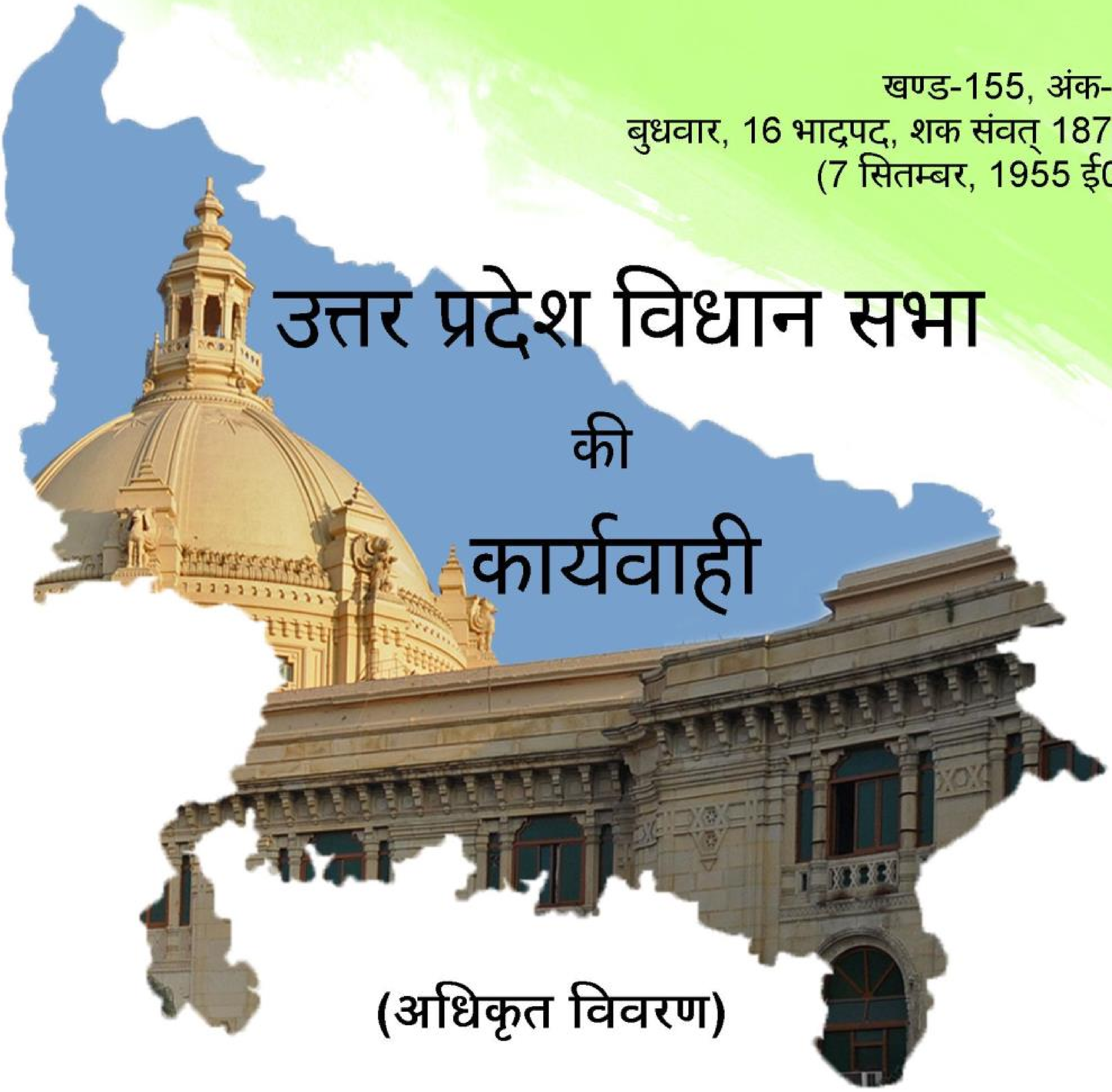

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 155 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांग (प्रस्तुत की गयी)	३०४-३०५
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ (विचार जारी)	३०५-३१३
श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की हत्या का समाचार	३१३-३१४
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ (विचार जारी)	३१४-३२९
श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की हत्या का समाचार (बैठक निश्चित समय से पूर्व स्थगित हो गयी)	३२९
नत्थियां	३३०-३३९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५७)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अब्दुल रऊफ़ ख़ां, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्तवैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुतूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिशम्भरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिब फ़ाखरी, श्री

मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखन, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद में ब्लाक मेकिंग और कपड़े की छपाई

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि फर्रुखाबाद जिले और शहर में ब्लाक मेकिंग (Block making) और कपड़े पर छपाई के काम में कुल कितने मजदूर काम करते हैं ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)—छपाई के काम में लगभग ३,२०० मजदूर हैं, जिनमें से लगभग २,२०० हाथ से काम करते हैं। अन्य १,००० अधिकतर कारखानेदार हैं। ब्लाक मेकिंग में लगभग ४५० कारीगर हैं।

*२—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को पता है कि इस उद्योग की दशा इधर कुछ दिनों से लगातार गिरती जा रही है ?

श्री बनारसीदास—कुछ समय पूर्व इस उद्योग में मन्दी आ गई थी।

*३—श्री झारखंडे राय—अगर हां, तो कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है, जिससे जिले के इस प्रमुख उद्योग को पूर्ण विनाश से बचाया जा सके ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रूपरेखा बताने का कष्ट करेगी ?

श्री बनारसीदास—सरकार ने उस उद्योग की उन्नति के लिये क्वालिटी मार्किंग योजना चालू की है, जिसके अन्तर्गत निर्धारित स्तर का माल तैयार कराया जाता है। शिक्षित टेक्निकल व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है तथा माल की परीक्षा करने के लिये फर्रुखाबाद में एक निरीक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। नियुक्त कर्मचारिगण उत्पादनों की विभिन्न अवस्था का निरीक्षण करते हैं तथा पूर्णतया तैयार हो जाने पर निर्धारित स्तर से मिलाकर उन पर गुण चिह्न अंकित करते हैं। भारत सरकार के आदेशानुसार फर्रुखाबाद से वही छपे हुए वस्त्र निर्यात किये जा सकते हैं जिन पर इस सरकार की गुण चिह्न अंकित हों।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्तिगत कारखानेदार हैं उनको भी सरकार की ओर से कोई सहायता दी जाती है, यदि हां, तो क्या ?

श्री बनारसीदास—प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वह क्वालिटी मार्किंग योजना के अन्दर शामिल हो और उसका लाभ उठाये।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस क्वालिटी मार्किंग योजना में सरकार का क्या व्यय होता है ?

श्री अध्यक्ष---यह किस प्रश्न से संबंधित है।

श्री झारखंडे राय---प्रश्न नं० ३ से।

श्री अध्यक्ष---इसी के लिये आप चाहते हैं या सब क्वालिटी मार्किंग के लिये चाहते हैं ?

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार की ओर से जो क्वालिटी मार्किंग की योजना चल रही है उसमें कुल कितना व्यय होता है ?

श्री अध्यक्ष---मैं पूरे के लिये इजाजत नहीं दूंगा। वह इसी के लिये प्रश्न पूछें तो ठीक है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि छपे हुये कपड़े का निर्यात कहां-कहां पर होता है और कितना ?

श्री बनारसीदास---यहां से बाहर के देश अमरीका आदि में निर्यात होता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने मूल्य का कपड़ा निर्यात होता है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---करीब १९ लाख रुपये का कपड़ा पिछले साल में निर्यात हुआ था।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि मंदी आने से छपाई कम हुई तो इसके क्या-क्या कारण खास हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसका मुख्य कारण तो यह है कि जो लोग यह माल तैयार करते थे वह बहुत घटिया किस्म का माल तैयार करते थे, कच्चा रंग लगाते थे, इसका नतीजा यह हुआ कि विदेशी लोग जो माल मंगाते थे उन्होंने माल मंगाना बन्द कर दिया। जब से क्वालिटी मार्किंग का काम शुरू हुआ है सिवाय एक साल के उत्तरोत्तर इस रोजगार में वृद्धि होती रही है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो लोग क्वालिटी मार्किंग में शामिल होते हैं, उनसे क्या फीस ली जाती है और क्या क्या प्रतिबन्ध हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---फीस की जानकारी मुझे इस समय नहीं है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है वैसे शायद फीस कोई पड़ती नहीं है।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो निरीक्षण केन्द्र खोला गया है, उसने क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री बनारसीदास---निरीक्षण के अन्दर जो स्पैसीफिकेशन्स मुकर्रर किये गये हैं उसके मुताबिक कैसा रंग है, कितनी साइज है, इसके मुताबिक कार्य होता है और जितना कपड़ा तैयार होता है उस सबका निरीक्षण होता है।

हमीरपुर जिले की मंडियों में ज्वार की खरीद

*४---**श्री तेजप्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि हमीरपुर जिले की किन-किन गल्ला मंडियों में इस वर्ष किन तारीखों को ज्वार खरीदने के लिये सरकार की ओर से प्रबन्ध किया गया ?

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ४ श्री जोरवार वर्मा ने पूछे।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--हमीरपुर जिले की निम्नलिखित मंडियों में, उनके विपरीत अंकित की गई तारीखों से ज्वार खरीदने की व्यवस्था की गई--

(१) मौदहा .. .. ७ मई, सन् १९५५
(२) भरवा सुमेरपुर .. .. १३ मई, सन् १९५५
(३) महोबा .. .. १४ मई, सन् १९५५

*५--**श्री तेजप्रतापसिंह** (अनुपस्थित)--यह प्रबन्ध (ज्वार खरीद) किस तारीख से किस तारीख तक रहा और प्रत्येक सेन्टर पर कितनी ज्वार किस भाव पर खरीदी गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--संलग्न सूची में अभीष्ट सूचना दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३० पर)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह खरीद किसी प्राइवेट अधिकारी के द्वारा हुई या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह खरीद एजेन्टों के द्वारा हुई जिनको सरकार ने नियुक्त किया।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हमीरपुर कृषकों की तरफ से कोई इस प्रकार की शिकायत की गयी है कि जो भाव सरकार ने निर्धारित किये थे उन भावों पर कृषकों की ज्वार नहीं खरीदी गयी, बल्कि दूकानदारों से खरीदी गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं, सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत वहां के किसानों की ओर से नहीं पहुंची है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारियों से इस बात को पूछेंगे कि उनके पास इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो वे उस पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यदि माननीय सदस्य ऐसी कोई शिकायत लिखकर देंगे तो उस पर अवश्य कार्यवाही करायी जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की खरीद में और मंडी के भाव में कोई अन्तर था ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, अन्तर होने की वजह से ही सरकार ने खरीद शुरू की। जब भाव नीचे गिरने लगा तो भाव को स्थिर करने के लिये ही यह ज्वार खरीदनी पड़ी।

आजमगढ़ शहर में भयंकर अग्निकांड

*६--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ शहर में हाल में जिला विकास प्रदर्शिनी के अवसर पर भयंकर अग्निकांड हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उसमें कितने की क्षति हुई और क्या वह क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने का विचार कर रही है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--दो कपड़े की दूकानों में बिजली की खराबी की वजह से आग लग गई थी। नुकसान लगभग ३,००० रु० से ३,५०० रु० के बीच आंका जाता है। क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को नेशनल केलेमिटीज रिलीफ फंड से सहायता देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ५ श्री जोरावरवर्मा ने पूछे।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह अग्निकांड किस तारीख को किस महीने में हुआ था ?

श्री फूलसिंह--फरवरी के महीने में गालिबन ६ तारीख को हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस दूकान में आग लगी थी उनके मालिकों के भी क्षति की जांच में बयान लिये गये थे ?

श्री फूलसिंह--मैं नहीं कह सकता, जरूर लिया गया होगा।

फलोपयोगी विभाग के मुख्य कार्य, उसके कर्मचारी तथा फल विकास योजना के प्रशिक्षण केन्द्र

*७--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Fruit Utilization (फ्रूट यूटिलिजेशन) विभाग की ओर से अब तक क्या क्या मुख्य मुख्य कार्य किये गये हैं ?

श्री बनारसीदास--फलोपयोगी (Fruit Utilization) विभाग द्वारा अब तक निम्नलिखित मुख्य मुख्य कार्य किये हैं --

१--१४४१ एकड़ भूमि पर १,४४,१६० फलों के पेड़ लगाये गये।

२--९६८ किसानों के उद्यानों में ८६१ एकड़ भूमि में उद्यान सुधार का काम किया गया।

३--फसलों की हानिकारक कीटाणुओं से रक्षा करने के लिये २९५ ग्रामों में ९९२ एकड़ भूमि पर फसलों का उपचार किया गया।

४--२०० मन से अधिक टिड्डियों को नष्ट किया गया।

५--१३२८ व्यक्तियों को कृषि रक्षा संबंधी वैज्ञानिक विधियों की शिक्षा दी गई।

६--लखनऊ व रामगढ़, जिला नैनीताल में फ्रूट प्रोसेसिंग एन्ड कैनिंग इंस्टीट्यूट (Fruit Processing and Canning Institute) स्थापित किये गये और उनके द्वारा ३९६३ पौंड फल इत्यादि डिब्बों में बन्द किया गया।

७--रामगढ़, जिला नैनीताल में एक फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री (Fruit Processing Factory) स्थापित की गई, वह फैक्ट्री २८ मई, १९५५ से चालू हुई और अब तक उसने १००० मन पल्प तैयार किया है।

८--मोबाइल ट्यूशनल क्लासेज (Mobile Tutional Classes) द्वारा ६१८ व्यक्तियों को शिक्षा दी गई तथा २१९३ पौंड माल डिब्बों में बन्द किया गया।

*८--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Fruit Utilizaition (फ्रूट यूटिलिजेशन) विभाग में इस समय कितने कर्मचारी हैं और वे कहां कहां कार्य कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--फलोपयोगी (Fruit Utilization) विभाग में इस समय कुल ४४७ कर्मचारी हैं और वे निम्नलिखित स्थानों में कार्य कर रहे हैं --

रानीखेत	..	..	६७
रामगढ़ ..	..	..	५२
चौबटिया	..	..	१९८
टेहरी-गढ़वाल	..	..	३८
पौड़ी-गढ़वाल	..	..	३१

अल्मोड़ा	..	..	२६
नैनीताल	..	..	२
लखनऊ ..	..	..	३०
मैसूर (ट्रेनिंग)	..	..	३
		योग	४४७

*९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार फल विकास योजना के शिक्षण के लिये कुछ प्रशिक्षण केंद्र खोल रही है ? अगर हां, तो क्या सरकार इस संबंध में सम्पूर्ण योजना को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—जी हां, फल तथा सब्जी को बरबादी से बचा कर भविष्य में उपयोग में लाने और जनता को फल संरक्षण संबंधी घरेलू उद्योग की जानकारी कराने के लिये हर शहर में एक कम्युनिटी कैनिंग सेंटर (Community Canning Centre) खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है। आरम्भ में इस योजना के अन्तर्गत ५ केंद्र स्थापित करने का विचार है। इन केंद्रों का अनुमानित व्यय ५००० रु० प्रति केंद्र होगा। ये केंद्र अव्यवसायिक रूप से काम करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति एक परिमित मात्रा में ही, जो १० पौंड से अधिक न होगा, घरेलू उपयोग के लिये फल इत्यादि डिब्बों में बन्द करा सकेगा और उसके लिये अन्य खर्चों के अतिरिक्त १ आना प्रति पौंड की दर से नाम मात्र शुल्क लिया जावेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि रामगढ़ में फल फैक्ट्री जो स्थापित की गई है तो फल उत्पादकों के लिये जो डाइरेक्टर महोदय ने दाम तय किये थे, उनके नियमों के अनुसार पेमेंट नहीं हो रहा है ?

श्री बनारसीदास—इस तरह की कोई सूचना नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त जब हम लोग गये थे तो मालूम हुआ था कि जितने पहले दाम मिलते थे अब उससे कहीं अधिक मिलते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार के पास अनेक शिकायतें फल-उत्पादकों की ओर से आयी हैं कि जो दाम डाइरेक्टर महोदय ने निर्धारित किये थे उन दामों को दोबारा कम करके दाम दिये जा रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो फैक्ट्री इस वक्त रामगढ़ में लगायी गयी है वह साल में कितने दिन काम करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब तक फल मिलेंगे तब तक काम करेगी। जब नहीं मिलेंगे तो नहीं काम करेगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जहां पर यह फैक्ट्री लगायी गयी है वहां पर फल सिर्फ दो महीने जुलाई और अगस्त के महीनों में ही मिलते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। अभी तो कुछ ऐसी व्यवस्था है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन छः सौ से अधिक ट्रेनीज को ट्रेनिंग दी गयी है उनको भविष्य में कार्य देने के लिये क्या तरीका बनाया गया है ?

श्री बनारसीदास—ट्रेनीज जिनको शिक्षा दी गयी है ज्यादातर वे जाकर ग्राम सभाओं में फलों के रोपण का कार्य करें और उसका विकास करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी जवाब में कहा गया है कि २ सौ मन टिड्डियां नष्ट की गयीं, ये टिड्डियां कहां तौली गयीं ?

श्री बनारसीदास--वह तो जहां पर मारी गयीं वहीं पर।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)--क्या सरकार को ज्ञात है कि लगभग साढ़े चार हजार वर्ग मील के टेहरी-गढ़वाल जिले में ३८ व्यक्तियों की मोबाइल टीम अपूर्ण पायी जा रही है और यदि ऐसा है तो इस टीम की संख्या बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस ओर अधिक धन की व्यवस्था करने की योजना तैयार की गई है। उसमें अधिक व्यक्तियों को इस कार्य में लगाने की योजना बनाई गई है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह योजना प्रदेश के किन जिलों में इस समय लागू है और क्या कुछ और जिलों में निकट भविष्य में लागू करने का विचार है ?

श्री बनारसीदास--जी हां। इस वक्त अल्मोड़ा नैनीताल, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, यहां सब जगह लागू है।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार का कोई ऐसा भी विचार है कि इस योजना को मैदानी जिलों में भी लागू किया जाय ?

श्री बनारसीदास--अब भी लागू है।

आगरा सदर तहसील के विभिन्न ग्रामों में चिकित्सालयों का अभाव

*१०--**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)--क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि आगरा सदर तहसील के अरनौली, लखीमपुर, मुहम्मदपुर, जासआकटरा आदि बड़े बड़े ग्रामों में कोई अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय वहां चिकित्सा की कोई समुचित व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास--जी हां। जिन स्थानों पर चिकित्सालय खोलने की सिफारिश जिला परामर्शदात्री समिति ने की है उनमें यह स्थान नहीं है। जनता का भी कोई प्रस्ताव इन स्थानों के लिये सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव आने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी इसे सूचना समझ कर यहां समुचित व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री बनारसीदास--जी हां। यह सूचना तो हो ही गयी। इसके लिये जिला परामर्शदात्री समिति से रिपोर्ट मांगी जायगी और जिला परामर्शदात्री समिति में लगभग जिले के सभी प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

प्रशिक्षण केन्द्रों में अफसरों का प्रशिक्षण

*११--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ट्रेनिंग-कम-एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स में अफसरों को ट्रेनिंग देने के क्या नियम हैं ?

श्री फूलसिंह—प्रशिक्षण केंद्रों में अफसरों को प्रशिक्षण देने के कोई विशेष नियम नहीं हैं, सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार उन्हें इन केंद्रों में प्रसार कार्यों की पृष्ठभूमि का आभास दिया जाता है एवं उन विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराया जाता है जिनसे वे विकास कार्यों से संबंधित विभागों से समुचित रूप से सहयोग प्राप्त कर सकें एवं ग्राम वासियों में उनकी प्रगति के लिये सामूहिक चेतना पैदा कर सकें।

*१२—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या यह सही है कि बख्शी तालाब, लखनऊ में जो प्रोजेक्ट है उनमें अफसरों को ट्रेनिंग देने की जो अवधि मुकर्रर है उससे कम अवधि में ही वह ट्रेनिंग समाप्त कर दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों में जो ट्रेनिंग दी जाती है वह क्या कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिस्क्राइब्ड कोर्स के निर्धारित किये हुये हिस्से से ही दी जाती है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री फूलसिंह—भिन्न भिन्न केंद्रों में भिन्न भिन्न श्रेणियों के लिये अलग अलग नियम हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने इस एडमिनिस्ट्रेशन की योजना को पूरे तौर से नहीं माना है?

श्री फूलसिंह—किस योजना को? सब योजना को मान कर अमल किया है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डी० एस० ओ० और टी० आर० ओ० को जो शिक्षा बख्शी तालाब में दी गई थी वह एक महीने में समाप्त कर दी गई? यदि हां, तो क्यों?

श्री फूलसिंह—जिलों के कार्यकर्ताओं को आम तौर से महीने और दो महीने के अन्दर ट्रेनिंग दी जाती है और जैसी आवश्यकता होती है बाद में, जल्दी ही खत्म करनी पड़ती है।

प्रदेश में राष्ट्रीय विकास सेवा केन्द्र

*१३—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ से इस प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय विकास सेवा केंद्र आरम्भ होने जा रहे हैं? क्या सरकार उनकी सूची मेज पर रखेगी?

श्री फूलसिंह—जनवरी, १९५५ में ३८ ब्लाक खोले जा चुके हैं और नये ब्लाक खोलने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

*१४—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नवीन सामूहिक विकास योजना केन्द्र १९५५ में किन किन जिलों में खुलने जा रहे हैं?

श्री फूलसिंह—यह प्रश्न भी अभी विचाराधीन है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार इस वर्ष एन० ई० एस० ब्लाक्स को कम्युनिटी प्रोजेक्ट में बदलने का विचार करती है?

श्री फूलसिंह—जी हां, कुछ ब्लाक्स को।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में इस योजना के आधार पर कौन सा स्थान चुना गया है जहां पर कि ये खोले जायेंगे?

श्री फूलसिंह—यह तो जैसा कि कहा गया है कि यह प्रश्न विचाराधीन है। उन ब्लाक्स को जिनका काम अच्छा रहा है और जहां पब्लिक का कंट्रीब्यूशन भी बहुत माकूल रहा है उन स्थानों को छांटा जायगा।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सारे प्रान्त में राष्ट्रीय सेवा विकास केंद्र खोलने के लिये कोई अवधि निर्धारित की है?

श्री फूलसिंह—अगली पंचसाला योजना के अन्त तक ऐसा करने की कोशिश की जायगी।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष कुछ प्लानिंग कमेटीज ने अपने यहां एन० ई० एस० ब्लाक खोलने की मंजूरी दी थी, वे अब तक क्यों नहीं खोले जा रहे हैं?

श्री फूलसिंह—वह तो कुछ ३८ ब्लाक्स खोलने थे, सभी प्लानिंग कमेटीज ने सिफारिशें की थीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो एन० ई० एस० ब्लाक्स खोले जाते हैं या खोले जा रहे हैं, क्या वे इधर के जो सदस्य रहने वाले हैं, उनके इलाके में भी वे खोले जायेंगे या नहीं?

श्री फूलसिंह—कोशिश यह की जायगी कि जिन जिलों में केवल दो ब्लाक्स अभी तक हैं या एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट और एक एन० ई० एस० ब्लाक हैं तो उनमें तीसरा ब्लाक खोला जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मेरा प्रश्न यह है कि आज जो कई ब्लाक्स जिले के अन्दर खोले जा रहे हैं तो उसमें इस बात की भी कोशिश की जायगी कि विरोधी पक्ष के लोग जिस इलाके से आते हैं उनके इलाके में भी कोई ब्लाक खोला जाय?

श्री फूलसिंह—विरोधी पक्ष के सदस्य किसी ऐसे जिले से आये हैं जहां तीन ब्लाक्स हैं तब तो वहां नहीं खोला जायगा, लेकिन यदि दो हैं तो जरूर खुलेगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश में कोई ऐसा सर्वे कराने का विचार रखते हैं कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं और उन पिछड़े क्षेत्रों को विशेषता देने की सरकार कृपा करेगी?

श्री फूलसिंह—जिले स्तर पर यह निश्चय प्लानिंग कमेटीज करती हैं कि कहां खोला जाय और माननीय सदस्यगण अपने अपने जिले की प्लानिंग कमेटी के मेम्बर हैं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—क्या माननीय मंत्री जी ब्लाक्स खोलने के अवसर पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि टेहरी गढ़वाल में एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट और एक एन० ई० एस० ब्लाक है?

श्री फूलसिंह—जी हां।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी उन्नाव जिले की तहसील पुरवा के सुमेरपुर ब्लाक को भी खोलने जा रहे हैं?

श्री फूल सिंह—मैं जबानी तो नहीं कह सकता, लेकिन जिन जिलों में दो ब्लाक्स हैं उनका नाम जरूर उस लिस्ट में होगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उन्होंने जिला प्लानिंग कमेटियों को कोई आदेश दिया है कि वे अपने जिलों के उन क्षेत्रों की सूची बनायें जिनको इस काम के लिये प्रिफरेंस दिया जाय?

श्री फूलसिंह--प्रायः अब तो जिला कमेटियों से सिफारिशें आ भी चुकी हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सन् ५५ में यह राष्ट्रीय विकास सेवा केंद्र कितने और कहां कहां खोले गये हैं ?

श्री फूलसिंह--३८ खोले गये हैं, जिलों की सूची मेरे पास नहीं है ।

*१५--१६--**श्री तेजप्रतापसिंह**--[२८ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थानान्तरित किये गये ।]

*१७-१९--**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)--[५ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहपुर जिले में तीसरा राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र

*२०--**श्री अनन्तस्वरूपसिंह** (जिला फतेहपुर)--क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में तीसरा राष्ट्रीय प्रसार सेवा केंद्र कहां और कब तक खुलेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--फतेहपुर जिले में तीसरा ब्लाक खोलने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ?

*२१--**श्री अनन्तस्वरूपसिंह**--क्या नियोजन मंत्री को विदित है कि जिला फतेहपुर की ३ तहसीलों में से अभी तक १ तहसील (खागा) में एक भी राष्ट्रीय प्रसार सेवा केंद्र नहीं खुल पाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां ।

नियुक्त एजेण्टों द्वारा गेहूं की सरकारी खरीदारी

*२२--**श्री अनन्तस्वरूपसिंह**--क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष सरकार द्वारा गेहूं की खरीदारी जो की गई है वह खुले बाजार में किसानों से की गई है या गेहूं के स्टाकिस्ट (Stockist) व्यापारियों से की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मूल्य संरक्षण योजना (Price Support Scheme) के अन्तर्गत गेहूं की खरीदारी किसानों से सरकार द्वारा नियुक्त एजेंट्स के माध्यम से की गई है ।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट क्षेत्रों में कुटीर उद्योग धन्धों के पाइलट प्रोजेक्ट

*२३--**श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी**--क्या यह सही है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के क्षेत्रों में सरकार कुटीर उद्योग धंधों के कुछ पाइलेट प्रोजेक्ट प्रारम्भ कर रही है ? यदि हां, तो किन किन क्षेत्रों में और उसकी रूप रेखा क्या होगी ?

श्री फूलसिंह--जी हां । एक ऐसा पाइलेट प्रोजेक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार ने देवबन्द कम्युनिटी प्रोजेक्ट, जिला सहारनपुर में दिया है । इस स्कीम के अनुसार प्रोजेक्ट में ३०० ग्राम शामिल किये जायेंगे । प्रोजेक्ट को लगभग बीस बीस गांव के १५ हिस्सों में बांटा जायेगा और हर हिस्से के लिये एक कमेटी बनाई जायेगी जो खादी और दूसरे उद्योग धंधों की उन्नति के लिये योजना बनाने में सहायता देगी । इसी कार्य के लिये पूरे प्रोजेक्ट के लिये भी एक कमेटी बनाई जायेगी जिस में माहिरों और दूसरे नुमाइन्दों को शामिल किया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इतने बड़े प्रदेश में केवल एक ही पाइलट प्रोजेक्ट योजना क्यों भारत सरकार ने दी है ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा । भारत सरकार के बारे में आप पूछ रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इतने बड़े प्रदेश में केवल एक ही पाइलट प्रोजेक्ट योजना क्यों चालू की गई ?

श्री फूलसिंह--जो सूची भारत सरकार से मिली है, उसमें प्रायः हर प्रांत में एक एक प्रोजेक्ट है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवबन्ध में जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना प्रारम्भ हुई है उसमें कितने लोगों को वार्षिक कार्य मिल सकेगा ?

श्री फूलसिंह--अभी तो पूरी योजना बन कर भी नहीं आई।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस कुटीर उद्योग पाइलट प्रोजेक्ट का अनुमानित व्यय क्या है ?

श्री फूलसिंह--अभी यह भी निश्चित नहीं है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कुटीर उद्योग धंधों की पाइलट स्कीम किसी राष्ट्रीय विस्तार योजना में भी शुरू की जायगी ?

श्री फूलसिंह--यह तो योजना केंद्रीय सरकार से आयी है और एक ही जगह के लिये हुई है।

*२४--**श्री विश्राम राय**--[हटा दिया गया।]

नये गृह उद्योग धंधों को जारी करने की योजना

*२५--**श्री विश्राम राय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में कौन से नये गृह उद्योग किन-किन स्थानों पर जारी करने की योजना कार्यान्वित होने वाली है ?

श्री बनारसीदास--आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ३३१-३३२ पर)

श्री विश्रामराय--क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि जो नये गृह उद्योग और उनके चलाने के जो स्थान निश्चित किये गये हैं या चुने गये हैं उनके बारे में जिला प्लानिंग कमेटियों से भी राय ली जाती है और क्या इस चीज को चालू करने के पहले सूबे भर का सर्वे किया गया है ?

श्री बनारसीदास--जहां तक उद्योगधंधों का सवाल है वहां सर्वे करने के आदेश तो जारी हो गये, लेकिन जहां पर केंद्र कायम किये गये वहां की आवश्यकताओं को और उपयोगिता को ध्यान में रख करके ऐसा किया गया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो यह नये गृह उद्योग खोले जायेंगे यह सरकार की ओर से खोले जायंगे या कोआपरेटिव सोसाइटीज को सरकार मदद करेगी और मदद करेगी तो किस प्रकार से ?

श्री बनारसीदास--जैसा कि इसी जवाब के अन्दर कहा गया ज्यादातर जो उद्योग शुरू किये गये हैं वे सरकार की तरफ से हैं और कहीं कोआपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से भी। जहां पर कि उत्पादन वगैरह के केंद्र होंगे वहां सरकार ऋण से या ग्रांट इन एड से मदद करेगी।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन नये गृह उद्योगों की चर्चा इस प्रश्न में है उसमें गुड़ उद्योग और ऊन उद्योग भी शामिल हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--गृह उद्योग में गुड़ और ताड़ सभी सम्मिलित है।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार कृपा करके उस सूची में जो दिया गया है उसकी मुख्य-मुख्य बातें बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास--जी हां। इसके अन्दर विशेष रूप से हस्त कर्घा उद्योग के उत्पादन केंद्र और बहुत सी जगह सेल्स डिपो कायम किये जायेंगे और २५ डाई हाउसेज कायम किये जायेंगे और २ मीडियम साइज के डाई हाउसेज कायम किये जायेंगे, इसके अलावा शिक्षण और उत्पादन केंद्र कायम किये जायेंगे। लकड़ी की रंगाई, सिलाई, दरी बुनाई, कम्बल बुनाई के केंद्र खोले जायेंगे। चर्म कला केंद्र, काष्ठ कला केंद्र, धातु कला केंद्र आदि भी खोले जायेंगे। मूंज, टोकरी, एग्रीकल्चर आदि के भी खोले जायेंगे। चर्म विकास योजना के अन्तर्गत चर्म शोधन केंद्र खोलने का विचार है। इसके अतिरिक्त कम्युनिटी प्रोजेक्ट एरियाज के अन्दर भी कलासेज कायम किये जायेंगे। २६ केंद्र स्त्रियों को दरजीगीरी व कढ़ाई आदि सिखाने के लिये खोलने का आयोजन है। ऊन योजना के अन्तर्गत हिन्द तिब्बतीय क्षेत्र में बुनाई तथा कताई केंद्र खोले जायेंगे जिनमें अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी, गढ़वाल है। और क्वालिटी मार्किंग योजना में कानपुर में चमड़े के उद्योग और आगरे में दरियों के उद्योग भी शामिल होंगे। इसके अलावा खादी योजना के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में ६० केंद्र कताई के कायम किये जायेंगे।

*२६-२८--**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)--[५ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

छोटे उद्योग धंधों को चलाने के हेतु खेतिहर मजदूरों को ऋण देने के लिए सहकारी समितियां

*२९--**श्री विश्रामराय**--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूरों को छोटे-छोटे उद्योग धंधे चलाने के लिये ऋण देने के लिये सहकारी समितियां स्थापित होने जा रही हैं ?

श्री बनारसीदास--जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर में जो कहा गया कि सरकारी समितियां नहीं कायम करेंगी, इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास--उद्योग विभाग की तरफ से कोआपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं और इसमें यह हो सकता है कि जो लोग खेतिहर मजदूर हैं वह भी इन समितियों के अन्दर शरीक हों तो इसके लिये कोई विशेष योजना नहीं है। यदि कहीं पर कोई औद्योगिक समिति बनायी जाय, जिसमें मजदूर भी शामिल हों तो नियमों के अनुसार मजदूर सरकार से ऋण मांग सकते हैं और १५००० तक ऋण और १० हजार तक ग्रांट इन एड दी जा सकती है। खेतिहर मजदूर भी उससे लाभ उठा सकते हैं।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार को यह पता है कि प्रदेश की खेती में ट्रैक्टर, नहर, नल कूप और अन्य औजारों के इस्तेमाल से खेतिहर लोग परेशान हैं ? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। यदि आप सीधा प्रश्न करें तो अच्छा है। आप एक स्टेटमेंट के साथ प्रश्न दे रहे हैं कि स्टेटमेंट भी कबूल कर ले सरकार। वह चीज तो नहीं होगी।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि जो नये-नये तरह-तरह के औजार खेती में इस्तेमाल किये जा रहे हैं उसकी वजह से परेशानी खेतिहरों की बढ़ गयी है ?

श्री अध्यक्ष--मैं इस आरगूमेंट की इजाजत नहीं देता। आप तो सवाल कीजिये कि सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री उमाशंकर--सरकार खेतिहर मजदूरों की बेकारी को दूर करने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री बनारसीदास--यह तो अभी बतलाया गया है कि खेतिहर मजदूर इन चीजों से लाभ उठा सकते हैं, जो कि देहातों में ग्रामोद्योग और दूसरे उद्योग धंधे स्थापित किये जा रहे हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायी जाती हैं, और उनको सरकार ऋण और ग्रांट देने के लिये तैयार है।

गोरखपुर जिले में मखनहा तथा अकटहवा बांध के लिए अनुदान

*३०-श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा गोरखपुर जिले के मखनहा और अकटहवा बांध के लिये अलग से कितना रुपया दिया गया था और वह कब दिया गया था और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री फूलसिंह--अकटहवा बांध के निर्माण तथा मरम्मत आदि के लिये २,००० रु० सन् १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष में दिया गया था। एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर (बाढ़) गोरखपुर की राय इस बांध के बनाने के पक्ष में न थी क्योंकि बांध की दूरी नदी से डेढ़ फर्लांग कम थी। अतः स्वीकृत अनुदान सरकार को वापस कर दिया गया था। मखनहा बांध के लिये कोई शासकीय अनुदान नहीं दिया गया।

श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय--क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि फरवरी, ५४ को रुपया दिया गया और २९ जुलाई, १९५४ को बांध टूट गया। तो क्या उस समय बाढ़ विभाग गोरखपुर में था ?

श्री फूलसिंह--यह रुपया फरवरी में नहीं, जून, १९५४ में दिया गया था।

श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय--क्या यह सही है कि बाढ़ विभाग ही ने उस बांध की मरम्मत करायी है ?

श्री फूल सिंह--जो रिपोर्ट आयी है उससे तो मालूम होता है कि इंजीनियर ने कहा कि इसकी मरम्मत कराना ठीक नहीं है।

श्री केशव पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एग्जिक्यूटिव इंजीनियर ने उस बांध को न बनाने की बात कही तो कौन सा बांध बनाने के लिये उन्होंने सलाह दी थी ?

श्री फूलसिंह--इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार मखनहा और अकटहवा बांध को अगले वर्ष तक पक्का कर देगी कि जिस से गोरखपुर बाढ़ से बच सके ?

श्री फूलसिंह--इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री केशव पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी उस राहिन नदी पर सर्वे करायेंगे कि यह कहां बांधा जा सकता है, क्योंकि यह गत दो बार टूट चुका है ?

श्री फूलसिंह--इस पर विचार किया जायगा।

जौनपुर जिले में नीरा तथा ताड़ गुड़ विकास योजना

*३१--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में नीरा तथा ताड़ गुड़ विकास योजना के सम्बन्ध में अब तक क्या किया गया ?

श्री बनारसीदास---ताड़ गुड़ योजना अभी तक इस जिले में नहीं चलाई गई है। नीरा बनाने और बेचने के निमित्त लाइसेंस लेने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में ताड़ गुड़ योजना कब से चालू की जायगी ?

श्री बनारसीदास---जी हां, आगामी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जौनपुर में भी इस योजना को चालू करने के लिए यत्न किया जायगा।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नीरा बनाने और बेचने के निमित्त लाइसेन्स व्यक्तिगत रुप से दिया जाता है या सोसाइटी बनाने के बाद सोसाइटी की मारफत दिया जाता है ?

श्री बनारसीदास---व्यक्तिगत रूप से भी दिया जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जौनपुर में ताड़ का रस जो निकलता है उसकी खपत कहां होती है और उस पर कोई प्रतिबन्ध है या नहीं ?

श्री बनारसीदास---इसकी सूचना तो माननीय मौर्य जी को स्वयं होगी, सरकार की ओर से तो वहां कोई योजना है नहीं। जो ताड़ के दरख्त हैं लोग जरूर उनका इस्तेमाल करते होंगे।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अपने प्रान्त में ताड़ गुड़ बनाने के लिये कौन-कौन जिलों को सरकार ने प्रमुखता दी है और क्यों ?

श्री बनारसीदास---इस समय ताड़ गुड़ बनाने की योजना हमारे प्रदेश में उन्नाव, कानपुर, फर्रुखाबाद, बदायूं, बिजनौर, मेरठ, नैनीताल और अल्मोड़ा में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जौनपुर तथा अन्य स्थानों को भी शरीक करना चाहते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां-जहां मद्य निषेध है, क्या वहां वहां ताड़ की नीरा बनाने की योजना पहले नहीं ली जाने की जरूरत है ?

श्री बनारसीदास---जैसा उत्तर दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम प्रदेश के काफी हिस्सों को लेना चाहते हैं। इस वक्त तो जहां-जहां योजना चालू है उन्हीं जिलों को लिया गया है।

जौनपुर जिले में करघा योजना के अन्तर्गत प्रोडक्शन सोसाइटीज

*३२---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में करघा उद्योग का कोई केन्द्र खोला गया है ?

श्री बनारसीदास---जौनपुर जिले में करघा योजना के अन्तर्गत दो प्रोडक्शन सोसाइटीज खोली गई हैं।

*३३---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---यदि हां, तो कहां और कब से ?

श्री बनारसीदास---एक सोसाइटी जौनपुर में जून, १९५४ में खोली गई तथा दूसरी शेरपुर में मई, १९५५ में।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---माननीय मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में पहले यह कहा था कि मड़ियाहूं तहसील में भी इस योजना को चालू करने पर सरकार विचार कर रही है। तो वहां कोई ऐसी योजना खोली जायगी या नहीं और खोली जायगी तो कब तक ?

श्री बनारसीदास---अभी तो जौनपुर और शेरपुर के अन्दर चालू है। जहां तक मड़ियाहूं का सवाल है इस के लिये अभी कोई निश्चित फैसला नहीं हुआ है।

असिस्टेंट ब्लाक डेवलपमेंट अफसरों की योग्यता तथा नियुक्ति

*३४---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कितने असिस्टेण्ट ब्लाक डेवलपमेण्ट आफिसर्स लिये गये हैं और उनके लिये निर्धारित योग्यता क्या थी ?

श्री फूलसिंह---१०३ असिस्टेण्ट डेवलपमेण्ट आफिसर्स लिये गये। इनके लिये निर्धारित योग्यता दूसरी श्रेणी के ग्रेजुएट की डिग्री थी। हरिजन और सामाजिक कार्य कर्त्ताओं के लिये तीसरी श्रेणी में पास ग्रेजुएट की थी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १०३ असिस्टेंट डेवलपमेण्ट आफिसर्स में से कितने उम्मीदवार फर्स्ट डिवीजन के थे, कितने सेकंड डिवीजन के थे और कितने थर्ड डिवीजन के थे ?

श्री फूलसिंह---सूचना की आवश्यकता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतला सकती है कि थर्ड जिवीजन में कितने हरिजन लिये गये और कितने सामाजकि कार्यकर्त्ता।

श्री फूलसिंह---गालिबन ६ हरिजन लिये गये हैं और ५ बैकवर्ड क्लासेज के लिये गये हैं।

श्री परमेश्वरीदयाल (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन अपनी संरक्षणता के विरुद्ध क्यों कम लिये गये ?

श्री फूलसिंह---बहुत रियायत करने पर भी योग्य व्यक्ति नहीं मिले।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि असिस्टेण्ट ब्लाक डेवलपमेण्ट आफिसर्स जो मुकर्रर किये गये हैं यह किसके द्वारा नियुक्त होते हैं। किसी कमेटी के द्वारा नियुक्त होते हैं या कोई विशेष अफसर इनकी नियुक्ति करता है ?

श्री फूलसिंह---इनके लिये एक कमेटी बनायी जाती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कमेटी के मेम्बरान कौन-कौन हैं ?

श्री फूलसिंह---वह तो हर मतबा बदलती रहती है। इस मर्तबा भी उसने ही लोगों को छांटा था। २, ३ कमेटी हैं उनमें एक प्रिलिमिनरी कमेटी है उसमें से छांटकर एक फाइनल कमेटी बनायी जाती है वही उनका चुनाव करती है और हर कमेटी में एक अफसर भी रहता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के कुछ आवेदन पत्र-खारिज भी किये गये थे ?

श्री फूलसिंह---हरिजनों की कुल १३ दरख्वास्तें थीं।

श्री परमेश्वरीदयाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि हरिजन ग्रेजुएटों की दरख्वास्तें अब भी उनके पास भेजी जायं तो क्या वे उनका भी चुनाव करने की कृपा करेंगे ?

श्री फूलसिंह--हरिजन ग्रेजुएट जब भी अप्लाई करेंगे यदि जगह होगी तो उनको मौका दिया जायगा ।

लखनऊ के निकट कुष्ठालय खोलने का आयोजन

*३५--श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में कतिपय कुष्ठी भिखारी यत्र-तत्र सड़कों, पुलों आदि स्थानों पर वर्षों से रह रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--जी हां ।

*३६--श्री गंगाधर शर्मा--यदि हां, तो क्या सरकार शहर के परे किसी उचित स्थान पर कोई कुष्ठीगृह खोल कर उसमें सब कुष्ठी भिखारियों को रखने तथा उनकी दवा-दारू व भोजन वस्त्र का प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास--जी हां, लखनऊ नगरपालिका की ओर से शहर में १०-११ मील दूर पर एक कुष्ठालय खोलने का प्रबन्ध हो रहा है, जिसे सरकार की ओर से २०,००० रु० का अनावर्तक अनुदान दिया जाना निश्चय हुआ है ।

श्री गंगाधर शर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह १०, ११ मील की दूरी पर किस स्थान पर कुष्ठीगृह खोला जायगा और कब तक खोला जायगा ?

श्री बनारसीदास--यह लखनऊ, कानपुर रोड पर कायम किया जायगा। सरकार की ओर से २० हजार रुपया दिया जा चुका है लेकिन अनुमानित व्यय ४०,२०० रुपया है। इसमें सहायता म्युनिसिपैलिटी भी देती है । आशा है यह जल्दी ही कायम हो जायगा ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रान्त में भिखारियों की संख्या क्या है ?

श्री बनारसीदास--संख्या का तो इस समय ठीक पता नहीं है ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भिखारी इसी शहर के या जिले भर के या इसमें अन्य जिलों के भी सम्मिलित हो सकेंगे ?

श्री बनारसीदास--जब यहां पर रोगियों के लिये आश्रम कायम होगा तो यहां के रोगी भी उसमें रह सकेंगे और बाहर के भी उसमें आ सकेंगे । कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा ।

श्री रतनलाल जैन--क्या माननीय मंत्री कृपाकर बतायेंगे कि सरकार इस तरह के कुष्ठीगृह अन्य जिलों में भी खोलने का विचार रखती है ?

श्री बनारसीदास--बहुत सी जगह आजकल भी कायम हैं और जहां-जहां भी इस तरह की सोसाइटीज नानआफिशियल बन जाती हैं वह सरकार से मांग करती हैं और सरकार सब जगह उनको सहायता देने के लिये तैयार रहती है ।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस आश्रम में कितने रोगियों के लिये प्रबन्ध हो सकेगा ?

श्री बनारसीदास--यह तो अभी नहीं कहा जा सकता। यहां पर उनका इलाज भी होगा । साथ-साथ में उनके बसाने की भी व्यवस्था होगी, जिससे वह उद्योग धन्धा कर सकें ।

नैनी कोढ़ी अस्पताल का वार्षिक व्यय

*३७—श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के (नैनी) कोढ़ी अस्पताल में प्रत्येक वर्ष कितना व्यय होता है ?

श्री बनारसीदास—पिछले तीन वर्षों में इस अस्पताल का व्यय निम्न रहा है—

			रु०
१९५२–५३	..	..	.. १,०५,५४३
१९५३–५४	..	..	.. १,०४,४०५
१९५४–५५	..	..	.. ९५,६९४

*३८—**श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू**—क्या सरकार नैनी के कोढ़ीखाने की इमारत को मरम्मत कराने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नैनी कोढ़ी खाने के लिये अमेरिकन मिशनरी से भी सहायता मिलती है, यदि हां, तो क्या ?

श्री बनारसीदास—जी हां, यह आश्रम तो चलता ही मिशनरियों की तरफ से है सरकार तो केवल उनको सहायता देती है, १२ रुपया प्रति रोगी के हिसाब से ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो खर्चा मन्त्री महोदय ने बतलाया उसमें से कितना रुपया दवाइयों में व्यय होता है और कितना रुपया भोजन में ?

श्री बनारसीदास—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है । अलग-अलग सूचना मेरे पास नहीं है । सरकार तो १२ रुपया प्रति व्यक्ति खाने और दवाओं के लिये देती है । आमतौर से ४०–४५ रुपया माहवार खाने-पीने, दवाओं और इस्टैब्लिशमेंट पर खर्च होता है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर के रहने वाले कोढ़ियों को इस कोढ़ीखाने में जाने के लिये बाध्य करेंगे ?

श्री बनारसीदास—इस वक्त ऐसा कोई नियम नहीं है । जब ऐसा नियम बन जायगा तो सब इलाहाबाद के कोढ़ियों को कोढ़ीखाने में जाने के लिये मजबूर किया जायगा ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ५२–५३ के बजाय ५४ में यह ग्राण्ट सरकार की तरफ से कम क्यों दी गयी ? इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—यह संख्या के ऊपर निर्भर करता है । जैसा मैंने पहले बतलाया कि प्रति रोगी १२ रुपया मासिक के हिसाब से दिया जाता है । अगर ज्यादा रोगी होंगे तो ज्यादा रुपया दिया जायगा और कम होंगे तो सहायता भी कम मिलेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि नैनी कोढ़ीखाने की इमारत की मरम्मत न कराने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—इसका उत्तर इसमें दिया हुआ है कि इस संस्था का प्रबन्ध सरकार के हाथ में नहीं है और मरम्मत के लिये सरकार से किसी प्रकार की कोई मांग भी नहीं की गयी ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जो व्यय बतलाया गया है वह कितने-कितने रोगियों पर व्यय हुआ है ?

श्री बनारसीदास—वैसे वहां ३०० रोगियों के रहने की व्यवस्था है। माननीय मौर्य जी जो ग्रांट दी गयी है उस पर स्वयं हिसाब लगाकर देख लें कि कितनी संख्या है लेकिन जहां तक मेरा खयाल है वह ३०० से नीचे ही है।

अतारांकित प्रश्न

प्लानिंग विभाग में अफसरों के विशेष वेतन पर व्यय

१—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग विभाग में अफसरों को जो विशेष वेतन दिया जाता है उस पर सालाना कुल कितना व्यय होता है और कितने अफसरों को दिया जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१,०६,८०० रुपया सालाना विशेष वेतन ९० अफसरों को दिया जाता है जिसकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३३ पर)

२—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** [९ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला झांसी के विकास केन्द्र मऊ और मोठ द्वारा श्रमदान से सड़कों का निर्माण

३—**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विकास केंद्र मऊ और मोठ तहसील, जिला झांसी द्वारा श्रमदान से कितनी सड़कें बनाई जा चुकी हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३३४ पर)

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में श्रमदान कार्य

४—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में १९५४-५५ में श्रमदान द्वारा कहां-कहां कितना काम हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३३५-३३९ पर)

हाईकोर्ट के निर्णय में सदन की कार्यवाही पर टीका टिप्पणी के विषय में आपत्ति

*__श्री नारायणदत्त तिवारी__ (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आप की सेवा में ३० तारीख की अमृत बाजार पत्रिका की प्रति भेजी थी, जिसमें हाईकोर्ट का एक फैसला छपा है, उसमें विधान सभा के किसी प्रश्नोत्तर का जिक्र है। जिस ढंग से वह छपा है उस से प्रतीत होता है कि वह कोई सुल्तानपुर का मामला है और उसम सदन के किसी सदस्य पर आक्षेप है कि एतराज करने वाले ने इन्वेस्टीगेशन से पहले सवाल कराया, दूसरे उस में यह है कि असेम्बली प्रोसीडिंग जो हैं वे कोई प्रभावोत्पादक नहीं हैं। ऐसा जो कहा गया है अब सवाल यह है कि इस तरह से यहां की प्रोसीडिंग्ज कहां तक काम में आ सकती हैं और यहां की प्रोसीडिंग्ज के संबंध में कोर्टस कहां तक फैसला दे सकते हैं कि वह प्रभावोत्पादक हैं या नहीं हैं। इसलिये श्रीमान्, विचार करें कि यह कहां तक उचित है और हाईकोर्ट का फैसला मंगा कर कोई मुनासिब फैसला करने का निश्चय करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--मैंने इस संबंध में अमृतबाजार पत्रिका का वह अंक देखा और पढ़ा। उसके पहले हिस्से में जो मोटे अक्षरों में कुछ वाकयात दिये जाते हैं, उसमें इस तरह का जरूर कुछ थोड़ा सा जिक्र आया है लेकिन जजमेंट का ब्योरा जो नीचे दिया है उस में ऐसा जिक्र नहीं है कि इस सदन में प्रश्न उठाया गया या क्या बात हुई। अभी मुझे शंका है कि उसका मतलब क्या हो इसलिये जबतक हमारे सामने पूरा फैसला नहीं आ जाता तब तक उसका कोई ऐसा मतलब नहीं लगाया जा सकता इसीलिये मैंने आज्ञा दे दी है कि फैसले की प्रतिलिपि मंगाई जाय और उसको देखने के बाद में निश्चय कर सकूंगा कि ऐसी कोई चीज वाकई फैसले में है या केवल अखबारी रिपोर्टिन्ग से ऐसा आभास सा प्रतीत होता है। अभी ठीक कहा नहीं जा सकता इसलिये फैसला देखने के बाद मैं इस संबंध में अपना निर्णय दूंगा।

राज्य आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडेराय ने भेजा है जो इस प्रकार है "गत २४ अगस्त से राज्य आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ में चलने वाली पूर्ण हड़ताल से, जिसके कारण कालेज के बन्द होने की आशंका है, हेल्थ मिनिस्टर तथा उपकुलपति के निवास स्थानों पर धरना हो रहा है, उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह हड़ताल २४ अगस्त से आरम्भ हुई, यह इसमें दिया हुआ है और आज ७ तारीख है, ५ तारीख से यह सदन दुबारा बैठ रहा है उस दिन भी माननीय सदस्य ने यह प्रश्न नहीं उठाया इसी से यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य ने इसको अरजेंट नहीं समझा, वरना वह इस को उसी दिन उठा देते। इसलिये मैं इसको अरजेंट नहीं समझता। माननीय स्वास्थ्य मंत्री अगर कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हों या कुछ इस संबंध में प्रकाश डालना चाहते हों तो मैं उनको आज या किसी और दिन समय दे सकता हूं क्योंकि प्रश्न जो लोगों के दिमाग में तकलीफ देते हैं वह वैसे ही न पड़े रहने चाहिये उनके संबंध में सदन को जानकारी मिलनी चाहिये ऐसी मेरी धारणा रहती है। परन्तु मैं इस कामरोको प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति नहीं देता हूं।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि राज्य आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थी कई दिवसों से, मुझे तारीख तो ठीक नहीं याद है, कालेज नहीं जा रहे हैं, वह क्लासेज में हाजिरी नहीं देते हैं। जहां तक उनकी मांग का विषय है, उसका अधिक संबंध सरकार से तो है नहीं, अधिक संबंध तो लखनऊ विश्वविद्यालय से है।

सदन के सदस्यगण यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आयुर्वेद के प्रसार के लिये सरकार ने इस नगरी में इस राज्य आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना की है और उसमें उन विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है, जो आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उसके द्वारा आयुर्वेद की सेवा करना चाहते हैं। आयुर्वेदिक कालेज में किस प्रकार की शिक्षा हो, क्या-क्या कोरसेज विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये रखे जायं, इसका निर्णय लखनऊ विश्वविद्यालय करती है। लखनऊ विश्वविद्यालय की ऐकेडेमिक कौंसिल विश्वविद्यालय की आयुर्वेद फैकल्टी और विशेषज्ञ इस बात का निर्णय करते हैं कि विद्यार्थियों को आयुर्वेद की शिक्षा देने के लिये क्या-क्या पढ़ना चाहिये। जहां तक कोरसेज के निर्णय करने का संबंध है उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है।

इस आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थी अब यह चाहते हैं कि वे एम० बी० बी० एस० की शिक्षा लखनऊ मेडिकल कालेज में प्राप्त करें और आयुर्वेदिक कालेज में जो शिक्षा विश्वविद्यालय ने निर्धारित की है और जिसके कोरसेज इत्यादि विश्वविद्यालय की तरफ से तय किये गये हैं वे उन पर थोपे न जायं। जहां तक सरकार का संबंध है, जैसा मैंने कहा, उसने आयुर्वेद कालेज की स्थापना आयुर्वेद के प्रसार और उसकी शिक्षा प्रदान करने के लिये की है। जो विद्यार्थी एम० बी० बी० एस० की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्रिमेडिकल टेस्ट में बैठने का

अवसर प्रदान किया जाता है और वे जो उस प्रिमेडिकल टेस्ट में उत्तीर्ण होते हैं एम०बी०बी०एस० की शिक्षा मेडिकल कालेज में पाते हैं। प्रत्येक वर्ष क्या कोर्स लड़कों को पढ़ाये जायेंगे और उन्हें किन-किन चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा, इस सबके संबंध में प्रारम्भ में ही जब विश्वविद्यालय खुलता है तो वह एक प्रास्पेक्टस छपाता है और उसमें इस बात की घोषणा करता है कि अमुक विद्यार्थी को अमुक साल में अमुक कोर्स का अध्ययन करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश इस वर्ष विश्वविद्यालय की तरफ से जो प्रास्पेक्टस छपा उसमें कुछ भूल सी रह गई। उसमें जो आर्डिनेंस यहां के संबंध में छपा कदाचित वह तीन चार वर्ष पहले का आर्डिनेंस छप गया, जिसके तहत में पहले जिन्होंने आयुर्वेदिक कलेज में सम्मिलित होना मंजूर किया था, उनको एम० बी० बी० एस० में मर्ज (merge) होने की इजाजत दी गई थी। उस आर्डिनेंस के छप जाने की वजह से जो लड़के आयुर्वेदिक कालेज के द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे थे, उन्होंने विश्वविद्यालय से यह आपत्ति की कि उन्हें एम० बी० बी० एस० में मर्ज होने का अधिकार प्रदान किया जाय, जैसा कि उनसे पूर्व के विद्यार्थियों को जब कि आयुर्वेदिक कालेज मेडिकल कालेज में ही स्थापित था, इजाजत दी गई थी। जहां तक लड़कों की मांग के कानूनी दृष्टिकोण का सवाल था, विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने और उसके विशेषज्ञों ने इस बात के ऊपर विचार किया और यह बताया कि चूंकि प्रास्पेक्टस में यह गल्ती हो गई है इसलिये द्वितीय वर्ष के आयुर्वेद कालेज के विद्यार्थियों को एम० बी० बी० एस० के फर्स्ट ईयर में सम्मिलित होने की इजाजत दे दी जाय। जो लड़के द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे थे उनका भी आग्रह यही था कि उन्हें एम० बी० बी० एस० कालेज के प्रथम वर्ष में सम्मिलित होने का अधिकार दे दिया जाय, चूंकि विश्वविद्यालय की तरफ से यह गल्ती हो गई थी उसने इन विद्यार्थियों को एम० बी० बी० एस० में सम्मिलित होने की इजाजत दे दी। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने इस वर्ष आयुर्वेदिक कालेज में सम्मिलित होना मंजूर किया है वे विश्वविद्यालय से कोई इस प्रकार की आपत्ति उठा नहीं सकते कि उन्हें भी वही अधिकार दे दिया जाय जो कि विश्वविद्यालय ने प्रास्पेक्टस में कुछ आर्डिनेंस के हिस्से न छपने के कारण द्वितीय वर्ष के आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों को दे दिया था। विश्वविद्यालय ने यह कहा कि प्रथम वर्ष में जो आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थी सम्मिलित हुये हैं, जहां तक उनका संबंध है, उन्हें इस बात की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अच्छी तरह से देखभाल कर और विश्वविद्यालय के कोरसेज का अध्ययन करके यह निर्णय किया है कि वे आयुर्वेद कालेज में सम्मिलित हों। इसलिये विश्वविद्यालय ने उनकी मांग को मंजूर नहीं किया और सरकार भी यही समझती है कि जहां तक प्रथम वर्ष के आयुर्वेद कालेज के विद्यार्थियों का संबंध है, उनकी मांग निराधार है, अनुचित है।

सरकार ने आयुर्वेद कालेज की स्थापना, जैसा कि मैंने शुरू में बतलाया, आयुर्वेद का प्रचार और उसकी शिक्षा के लिये किया है। जो लड़के उस विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाने के लिये सरकार प्रत्येक प्रकार का प्रबन्ध करती है, अच्छे से अच्छा अध्यापक रखने की कोशिश करती है। इस विद्यालय को सरकार समुचित और ऊंचा स्तर प्रदान करना चाहती है। इसलिये जो विद्यार्थी समझ-बूझ कर विद्यालय में सम्मिलित होते हैं, उन्हें इस प्रकार की कोई मांग नहीं करनी चाहिये कि वे सारे विद्यार्थी एम० बी० बी० एस० में सम्मिलित किये जाने चाहिये और यह विद्यालय जो आयुर्वेद के प्रसार के लिये खोला गया है बन्द कर दिया जाय। मेरे पास प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में जब मैं दिल्ली से परसों रात्रि में लौट कर आया यह मांग उपस्थित की। इससे पूर्व भी वे मुझ से मिल गये थे। मैंने जो विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण था और मेरा स्वयं जो दृष्टिकोण था उसको उनके समक्ष रख दिया और उनसे यह आग्रह किया कि उन्हें आयुर्वेद कालेज के विद्यालय में ही पढ़ना चाहिये क्योंकि इस विद्यालय में पढ़ने के लिये ही वे आये हैं। मैं यह भी सदन को बता देना चाहता हूं कि इन विद्यार्थियों में से करीब-करीब सब विद्यार्थी एम० बी० बी० एस० के प्रीमेडिकल टेस्ट में बैठे थे और सफल नहीं हुये थे। इसके बाद उन्होंने आयुर्वेद कालेज में सम्मिलित होना पसन्द किया था। ऐसी दशा में विद्यार्थियों का यह आग्रह कि वे एम० बी० बी० एस० में ले लिये जायं

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

बेजा मालूम होता है और साथ ही में सरकार को एक नाजायज मांग प्रतीत होती है। एम० बी० बी० एस० की शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को प्रिमेडिकल टेस्ट में बैठना पड़ता है और जो उसमें सफल होते हैं वही एम० बी० बी० एस० की शिक्षा प्राप्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि खाली स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स होना चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसलिये सरकार ने उन विद्यार्थियों से यह कह दिया है कि जो उनकी मांग एम० बी० बी० एस० में दाखिल होने की है उसके विषय में विश्वविद्यालय का जो फैसला है वह सही है और विद्यार्थियों से सरकार की तरफ से यह कहना है कि उन्हें इस प्रकार का कोई आग्रह नहीं करना चाहिये।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--एक सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--इसमें सवाल का प्रश्न नहीं है।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना देना चाहता हूं, यह कार्य परामर्शदात्री समिति ने निश्चय किया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति ने अपनी ६ सितम्बर, १९५५ की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के प्रस्तावों के लिये उनके सामने लिखा समय निर्धारित किया जाय--

(१) उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ डेढ़ दिन,
(२) उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५ आधा दिन,
(३) उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था विधेयक, १९५४ साढ़े तीन दिन,
(४) कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५ आधा दिन।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि "यह सदन उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५, उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५, उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था विधेयक, १९५४ कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५ के संबंध में कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तुत समय निर्धारण से सहमत है।"

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत है इस संबंध में हम को निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, इसमें महज आधा दिन रखा गया है और यदि आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत महत्वपूर्ण क्लाज में परिवर्तन हो रहा है। अतः मैं प्रस्तावक महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो यह आधा दिन रखा हुआ है इसको कम से कम एक दिन अवश्य रखें। और जो उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक है जहां तक मैं देखता हूं इसके लिये पूरे दो दिन होने चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री भी हमारे सुझाव से सहमत होंगे क्योंकि यह भी जो भांडार अधिग्रहण विधेयक है यह भी इंसान की जिन्दगी की जो बुनियादी बात है उससे संबंधित है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिये भी कम से कम एक दिन का समय होना चाहिये। उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था विधेयक पर जो साढ़े तीन दिन रखे गये हैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आप यह चाहते हैं नियम में यह दिया है कि संशोधन इसी शक्ल में आयेगा कि इस प्रश्न को फिर से पुनर्विचार के लिये समिति के पास भेजा जाय। इस शक्ल में संशोधन आता है। तो आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, के लिये दो रोज,

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक के लिये एक दिन और कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर विधेयक के लिये एक दिन। इस तरह का आप विचार रख कर फिर से समिति के पास पुर्नविचार के लिये भेजने को प्रस्ताव कर दें।

श्री राजनारायण--जी हां, मैं यह प्रस्ताव करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, टाउन एरियाज विधेयक शायद सेलेक्ट कमेटी के पास जाय। लेकिन माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने के लिये समय कुछ मिलना चाहिये। आधा दिन कम है। मैं भी इसी एक दिन का समर्थन करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेरे दल की ओर से भी इस परामर्शदात्री समिति में हैं मैं आपके द्वारा यह विचार प्रकट करना चाहता हूं कि कोई भी विधेयक हमारे द्वारा आधे दिन में पारित होना इस सदन की शोभा के खिलाफ बात है। हम कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन नहीं हैं कि एक बिल आया और परामर्शदात्री समिति ने कहा कि यह आधे दिन में पास हो जाय तो वह पास कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि हर एक विधेयक के लिये कम से कम एक दिन रहे और जो महत्वपूर्ण विधेयक हों उनमें समय एक दिन से ज्यादा हो।

श्री अध्यक्ष--इसके सम्बन्ध में जो आपने विचार जाहिर किये हैं उसमें कोई शान की बात नहीं है। अगर एक ही क्लाज का कोई बिल है या कोई तीन क्लाज का बिल है तो उस को थोड़े समय में ही पास करने में शान बढ़ती है कि हमने कभी सदन का समय व्यर्थ नहीं गंवाया। इन सब बातों पर परामर्शदात्री समिति विचार कर लेती है। तो इसमें शान का सवाल नहीं औचित्य का सवाल है।

इसके ऊपर तीन रायें दिखलाई देती हैं--एक तो श्रीमती सज्जनदेवी महनोत की। उन्होंने कहा कि जो समय निर्धारण परामर्शदात्री समिति ने किया है उसको स्वीकार कर लेना चाहिये। दूसरा राजनारायण जी का प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५५ के लिये समय ठीक है, लेकिन बाकी तीनों विधेयक परामर्शदात्री समिति के पास पुर्नविचार के लिये वापस कर दिये जायं और तीसरे द्वारकाप्रसाद मौर्य जी का कहना यह है कि तीन विधेयकों के लिये समय ठीक है सिर्फ उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५ के लिये समय कम है। तो मैं एक-एक करके संशोधन राय के लिये लेता हूं। पहले संशोधन ले लेता हूं और बाद में मूल प्रस्ताव पर विचार हो जायगा।

प्रश्न यह है कि कार्य परामर्शदात्री समिति ने जो समय टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक के लिये निर्धारित किया है उसको पुर्नविचार करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति के पास यह प्रश्न भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--२
विपक्ष में--२०२)

श्री अध्यक्ष--अब मैं दूसरा संशोधन श्री राजनारायण जी का सदन के सामने संशोधित रूप में रखे देता हूं क्योंकि पहला तो टाउन एरियाज वाला गिरही गया।

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति में जो समय का विभाजन कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर तथा उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक

[श्री अध्यक्ष]

के सम्बन्ध में किया गया, उसको पुनर्विचार करने के लिये उस समिति के पास भेजा जाय"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५, उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५, उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था विधेयक, १९५४, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५ के सम्बन्ध में कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तुत समय निर्धारण से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ के लिये जो डेढ़ दिन का समय निश्चित किया गया है यह बहुत ज्यादा है जब कि विधेयक बहुत छोटा सा है.....।

श्री अध्यक्ष--आप बहुत पिछड़ गये। अब ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता।

कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ ऐश्योरेंसेज के निर्माण का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--मैं एक चीज के बारे में सदन की राय लेना चाहता हूं। जो नियम संशोधन करने के सम्बन्ध में समिति बनी हुई है उसने यह सिफारिश की है कि एक कमेटी आन गवर्नमेंट ऐश्योरेन्सेज, जो वायदे सरकार करती है इस सदन में उसकी छानबीन करके, उसको फिर से याद दिहाई कराने के लिये और उसके ऊपर निरीक्षण रखने के लिये इस सदन की ऐसी होनी चाहिये, यह नियम में वे ला रहे हैं।

दूसरी एक कमेटी समिति ऐसी चाहती है जो नियम वगैरह बनते हैं किसी अधिनियम के मातहत सरकार को जो अधिकार दिये जाते हैं उस के मातहत सरकार जो नियम बनाती है वह नियम अधिनियम के हिसाब से कैसे संगत हैं और वैधानिक होते हैं इसके ऊपर भी नजर रखे। तो यह दो समितियां बनाने का उन्होंने निश्चय किया है और नियम में वे लाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि नियम बनने में देर लगेगी इसलिये उन्होंने सिफारिश इस बात की की है कि अध्यक्ष सदन की अनुमति लेकर इस समितियों को फिलहाल बना दे जिससे वे कार्य करना शुरू करें। मैंने इस प्रश्न को सदन के नेता के पास एक दफ़ा विचार करने के लिये भेजा था और उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों बाद में अपनी राय प्रकट करुंगा और चूंकि कई दिन हो गये और कल यह प्रश्न सदन में आ गया था और मुझसे पूछा गया था और मैंने आज का वायदा किया था तो मैं आज इसको सदन में रखता हूं और नेता सदन भी यहां मौजूद हैं। इस वक्त अगर वे इसके ऊपर अपनी कुछ राय प्रकट करना चाहें तो कर सकते हैं और अन्य सदस्य भी अगर राय देना चाहेंगे तो मैं कुछ सदस्यों को इजाजत दूंगा, वैसे बाकायदा प्रस्ताव इस पर नहीं आयेगा लेकिन जिसको सेंस आफ दी हाउस कहते हैं वह मैं ले लूंगा और उसके अनुसार कार्य होगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि उस समिति की बात है जो कि ऐश्योरेंसेज के सम्बन्ध में विचार करेगी, उसकी बाबत तो मुझको कुछ कहना नहीं है। आप उचित समझें तो ऐसी कमेटी नियुक्त कर दें, नियम बन जायंगे। लेकिन जो दूसरी समिति है जो कि अधिनियमों के अनुसार जो नियम गवर्नमेंट बनाती है उनके विषय में विचार करेगी उस की बाबत अभी पूरे तौर से हम कोई निश्चय नहीं कर सकते हैं। उसके कानूनी पहलुओं को भी देखना होगा। कुछ नियम ऐसे भी बनते हैं जो सदन के सामने विचार करने के लिये आते हैं, उस कमेटी में विचार होने के बाद उनकी क्या व्यवस्था और मत होगा, और दूसरी जगह क्या प्रोसीजर है, इसको स्टडी नहीं कर सके हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह था कि यदि आप उस प्रश्न को अभी न लें तो शायद अच्छा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जो नियम परामर्श-दात्री समिति ने जो ये सिफारिशें आप के सामने की थीं ये इसी दृष्टिकोण से की थीं कि ये कमेटियां इस सदन के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये आवश्यक हैं। लोक सभा के नियमों में इन दोनों कमेटियों की व्यवस्था है, एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी, दूसरी गवर्नमेंट ऐश्योरेंसेज कमेटी। तो मैं यह सुझाव दूंगा कि लोक सभा में भी इस सम्बन्ध में पद्धति निर्धारित है और वहां पर भी, जैसा कि अभी नेता सदन ने बतलाया कि वहां पर भी नियम आते होंगे, तो यहां भी जो लोक सभा की परिपाटी है वही निर्धारित कर ली जाय। इस सम्बन्ध में मैं नेता सदन से यह निवेदन करूंगा कि वह लोक सभा की परिपाटी को स्वीकार करें और इस कमेटी के अस्तित्व को भी स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर इस सदन में कई बार प्रश्न उठ चुका है और हम लोगों की तो यह राय रही है कि जो सरकार की तरफ से वायदे किये जाते हैं उस के लिये भी एक कमेटी मुकर्रर होनी चाहिये। वह वक्त-वक्त पर उस की देख-भाल किया करे कि वह वादे कितने पूरे होते हैं और कितने नहीं पूरे होते हैं। दूसरी कमेटी जो बनाने का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मैं आप से निवेदन करूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ उसमें अपनी कठिनाई बतलायी, लेकिन मैं उनका ध्यान इंगलैण्ड की पार्लियामेंट के नियमों की तरफ भी दिलाऊंगा कि वहां भी इस तरह की कमेटी बनी हुई है कि जो अधिनियम बनते हैं उनके मुताबिक ही नियम बनते हैं कि नहीं, इस पर वह कमेटी देख भाल किया करे। मैं समझता हूं कि लोक सभा में तो है ही, लेकिन हमारे यहां तो यह स्पष्ट है कि जहां पर कोई नियम इस पार्लियामेंटरी पद्धति के सम्बन्ध में अपने यहां न हो तो उसमें हमारे लिये आदर्श इंगलैण्ड की पार्लियामेंट का है। तो वैसी हालत में मैं समझता हूं कि उस में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये और इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करने से यह भी लाभ होगा कि जो समय इस सदन में बहुत सा लग जाता है नियमों के बहस मुबाहिसे में, सम्भव है कि उतना समय न लगे, इसलिये मैं फिर उस प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी से विचार करने के लिये कहूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जैसी कि पहली बात थी उस में तो काफी विलम्ब हो चुका है। वह कमेटी तो आप को निर्धारित कर ही देना चाहिये, मगर अधिनियमों के अन्तर्गत जो नियमों की जांच और परीक्षा के लिये कमेटी बनाने की बात है यह सदन के सामने स्पष्ट है कि वह सदन के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेगी। कमेटी को अधिकार है कि वह नियमों की जांच और परीक्षा करे और उसके बाद सदन को भी पूरा अवसर रहेगा उस छान बीन के बाद अपनी सम्मति देने के लिये। तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके बारे में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि उनसे सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं है, न यह आवश्यक है। आप अपनी ओर से इन दोनों कमेटियों को बना दें।

श्री अध्यक्ष—तो अभी जो इस विषय में नेता सदन ने अपनी राय प्रकट की और और लोगों ने भी प्रकट की उससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो एक कमेटी, वादे जो इस सदन में गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं उनके सम्बन्ध में सदन की राय है कि वह होनी चाहिये। उसके लिये सदन में सर्वसम्मति है कि यह कमेटी बना दी जाय। दूसरी के बारे में नेता सदन ने कहा है कि वह विचार करेंगे। अभी उन्होंने "नहीं" नहीं कहा। मैं समझता हूं कि जब नेता सदन कुछ थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं तो यह अनुचित न होगा मेरे लिये यदि मैं उस के ऊपर आज सदन की राय न लूं बल्कि उनको जो उस में कानूनी पेंच उत्पन्न होते हैं उस का अध्ययन करने का और जो सुझाव माननीय गेंदासिंह जी ने, राजनारायण जी ने और नारायणदत्त जी ने दिये हैं और बताया है कि इंग्लैण्ड में भी क्या होता है और हमारे यहां लोक सभा में भी क्या होता है? इन सब बातों का भी अध्ययन करने का उन्हें समय दूं और कोई

[श्री अध्यक्ष]

अड़चन न हो तो किसी दूसरे रोज इस प्रश्न को मैं सदन के सामने ले आऊंगा और इसके ऊपर विचार हो जायगा । क्योंकि जब तक नियम न बनें तब तक मैं यह उचित नहीं समझता कि सदन की बहुमत की राय लेकर ही कोई फ़ैसला करूं । जब तक सर्वसम्मति नहीं होती तब तक नियम के अनुसार जो कार्य आगे होने वाला है उसको मैं स्वयं अपनी ओर से प्रारम्भ कर दूं यह उचित न होगा । इसलिये अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गयी कि एक कमेटी बन जानी चाहिये , वह बना दूंगा । दूसरी कमेटी के सम्बन्ध में सदन की राय लेने के लिये अन्य समय निर्धारित करूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, गवर्नमेंट ऐश्योरेन्सेज़ कमेटी के नियम भी बनाने का आप ही को अधिकार रहेगा ?

श्री अध्यक्ष—जी हां, वह समिति के सुझाव में दिया हुआ है ।

१९५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांग

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेशीय सरकार के वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांग प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जो यह अतिरिक्त अनुदानों के सम्बन्ध में आज मांग प्रस्तुत की गयी है इसके सम्बन्ध में नियम १५७ के अधीन हम लोग वाद-विवाद कर सकते हैं । नियम १५७ में पूरा प्रोसीज्योर भी निश्चित किया गया है जिसके आधार पर आप इस सदन में विवाद के लिये तिथि निश्चित कर सकते हैं । लेकिन साथ ही साथ मैं इस प्रक्रिया के पैरा ३ की अन्तिम पंक्ति की तरफ़ आप का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं , इसमें लिखा हुआ है—

> "चूंकि अतिरिक्त अनुदानों के लिये इन मांगों को संविधान के अनुसार सदन के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है इसलिये भारत सरकार के परामर्श से इस सम्बन्ध में अनुसरण किये जाने वाली प्रक्रिया के निर्धारण में भी कुछ समय लगा है ।"

इस अंतिम पंक्ति से मुझे कुछ भ्रम सा हुआ है, इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है । इससे यह मालूम होता है कि प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार के परामर्श से कोई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया है जो प्रक्रिया विधान के अन्दर तो है, लेकिन हमारी प्रक्रिया नियमावली में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर तो बहस आज हो नहीं रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं प्रक्रिया क्या है वह जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—यह सदन के प्रोसीज्योर से सम्बन्धित नहीं है । यह प्रश्न कि क्या प्रोसीज्योर होना चाहिये उस के लिये वह कहते हैं कि हमको समय लगा और वह समय बीत चुका, अब आगे लगने वाला नहीं है । तो उसके लिये तो जिस रोज यह पेश होगा या इसके ऊपर बहस होगी उस वक्त आप बहस उठा सकते हैं ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—बहस कब होगी, श्रीमन् ?

श्री अध्यक्ष—१२ तारीख को विचार होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन दो दिन रखे जायं, एक आम बहस का और दूसरा वैसे। मैं नियम १५१ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें यह दिया हुआ है कि—

"Stages of budget debate. The budget shall be dealt with by the Assembly in two stages namely:—

(i) a general disscussion, and

(ii) the voting of demands for grants.",

तो एक दिन जनरल डिस्कशन के लिये रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—१२ तारीख को ही इस प्रश्न को उठावें। आज नहीं यह उठ सकता।

श्री राजनारायण—१२ तारीख को बदल कर आप १३ तारीख नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह तय हो चुका है। नियमानुसार यह तारीख मुकर्रर होती है। यह तारीख गवर्नर मुकर्रर करते हैं। दूसरे दिन डिस्कशन भी नियम में जैसा दिया हुआ है वह फिक्स हो चुका है।

*उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब माननीय कृषि मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, इस बिल के लिये साढ़े तीन दिन निश्चित किये गये थे। यह आधा घंटा जो दूसरे काम में ले लिया गया है तो यह समय उस में बढ़ा दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष—आधा घंटा तो कम ज्यादा हो ही सकता है। समय समाप्त होने के समय हम इसको सोच लेंगे शायद पहले ही खत्म हो जाय।

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, कल मैंने इस सदन का पर्याप्त समय इस विधेयक के सम्बन्ध में चर्चा करने में लिया। अभी माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य ने यह शिकायत की थी कि आधा घंटा जो यहां दूसरी चर्चा में लगा वह उनको मिलना चाहिये। इस दृष्टि से स्वयं मैं भी बहुत संक्षेप में कुछ चीज और इस सदन के सामने रखना चहूंगा। श्रीमन्, कल जो चर्चा मैं सदन के सामने कर रहा था वह माननीय गेंदा सिंह जी की इस चर्चा के विषय में थी कि माननीय गेंदा सिंह जी यह चाहते थे कि गाय के संरक्षण का इस विधेयक के द्वारा कुछ उपाय किया जाना चाहिये। मैंने उस समय जिक्र किया था कि गाय का संरक्षण का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है और बापू जी कहते थे कि यह प्रश्न स्वराज्य से अधिक बड़ा और जटिल है। इसके विषय में कुछ समस्या की ओर भी इस सदन का ध्यान मैंने आकर्षित किया था। मैं केवल इस सम्बन्ध में यह निवेदन और करूंगा कि ऐतिहासिक काल से इस देश में पशुपालन और विशेष रूप से गोपालन की पद्धति रही है। पशु प्रजनन की विधियां, पशु विकास की पद्धतियां, और पशु-विकास के ज्ञान विज्ञान की पद्धतियों में बहुत उन्नत ज्ञान इस देश का रहा है। मोहनजदारों के समय के जो हमको सभ्यता के विशिष्ट चिह्न आज मिलते हैं उनसे हम इसी बात की साक्षी पाते हैं कि करोड़ों पशु इस देश में विशिष्ट रूप से पलते थे। ३। करोड़ पशु के इस प्रदेश में जिसमें ७। करोड़ एकड़ भूमि पर केवल खेती होती है। आज हम जानते हैं कि ३.६ प्रतिशत भूमि

*३१ मार्च, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

पर पशु के चारे का कुछ प्रबन्ध किया जाता है और इसके बहुत से कारण हैं। कल मैंने इसका जिक्र किया था कि चारे की कमी के कारण और सन्तुलित चारा न होने के कारण गोसम्पदा का और भी ह्रास हुआ है। आज भी स्पष्ट रूप से यह स्वीकार कर सकता हूं कि न जाने पिछले कितने वर्षों से इस देश की गो सम्पदा का ह्रास हुआ है। यदि स्पष्ट रूप से यह कहूं कि सारी पशु सम्पदा का ह्रास हुआ तो उस के बहुत से कारण हैं। सन्तुलित चारे का न होना और गोचर भूमि का कृषि में उपयोग और इसके अतिरिक्त बहुत सी व्यवस्थाओं के कारण और सम्भवतः सब के ऊपर हमारी दासता और दरिद्र दुख रहे हैं। उन सब से इस देश में मनुष्य और पशु का ह्रास हुआ है। मनुष्य की औसत आयु केवल २३ वर्ष रह गयी है यह कोई अद्भुत बात नहीं है। आज यदि इस विधेयक के द्वारा हम थोड़ी सी प्रगति करना चाहते हैं तो इसमें क्या गलती है? मैं यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहता हूं कि कल इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस विधेयक की आखिर आवश्यकता क्या थी और उन्होंने कहना चाहा कि आप तो यह कहा करते थे कि गोवध रोकने के लिये किसी कानून की आवश्यकता ही नहीं है। आज आप आखिर यह विधेयक क्यों लाते हैं, यह कुछ माननीय सदस्यों ने कहा। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने यह विश्वास किया कि शायद इस विधेयक के द्वारा गो के वध का निवारण उतना न हो सके जितना और दूसरे उपायों से किया जा सके। हमारा यह विधेयक बहुत बड़ी समस्या का एक छोटा सा उपाय है। मैं स्वीकार करता हूं कि केवल इस विधेयक के जरिये गोवध निवारण नहीं हो सकेगा। उसके लिये हमें गोवंश की उन्नति करनी होगी। हमें निश्चित रूप से पत्ता और घास और दूसरी जंगल की चीजों में परिवर्तन करना होगा और उसे प्रोटीन देना होगा। दुर्भाग्यवश इस देश में पशु की नस्ल का जो कुछ हुआ उसे यह सदन भली भांति जानता है। यहां के लोगों के लिये यह असम्भव हो गया कि पशु प्रजनन के लिये अच्छे सांड़ रख सकें। इसके बारे में विदेशी राजाओं ने भी कुछ नहीं किया। ऐसे दुर्बल से दुर्बल सांड़ इस कार्य के लिये छोड़े गये जिनका कोई मूल्य बाजार में नहीं मिलता था। इसका परिणाम यह हुआ कि क्रमिक रूप में गोवंश का ह्रास हुआ और आज ऐसी दुर्बल गायें हमको देखने को मिलती हैं कि उन्हें देख कर लज्जा आती है। इस विधेयक के द्वारा हम इन सब बातों का अन्त कर सकेंगे, यह कहना गलत होगा।

यह भी कहा गया कि सरकार दब कर यह विधेयक लायी है। मैं नहीं कहना चाहता कि यहां के कुछ राजनीतिक दलों ने इसका जो विवाद उपस्थित किया था उस के पीछे कोई गोवंश की उन्नति की भावना थी। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि केवल राजनीतिक कारणों से गऊ को एक झंडे के पीछे बांधा गया है। चाहे यह विधेयक पास हो या न हो, आप अपने नियोजन के द्वारा चाहे गोवंश की उन्नति करें या न करें, यह हमारे मित्र जिन्होंने कल गऊ को झंडे के पीछे बांधा था वह कल गाय को छोड़ कर किसी दूसरी चीज को बांधेंगे। उनको तो अपने राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति करनी है। उन लोगों की आवाज पर यह विधेयक नहीं लाया गया है। उनकी आवाज को केवल हमने इसलिये सुना कि हम समझते थे कि वह एक राजनीतिक आवाज है। उससे आगे हमने उसे कोई महत्व नहीं दिया। इस विधेयक की दूसरी ही भावना है। मैं आपके द्वारा क्षमा चाहूंगा यह कहने के लिये कि दाक्षिण्य, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य और प्रेम ये किसी धर्म विशेष की सम्पत्ति नहीं हैं। आज शायद मानव ने इसे मानव धर्म में स्वीकार कर लिया है और सभी धर्मों ने इसे माना है। आज मानवता हिंसा से मुंह मोड़ चुकी है और वह जानती है कि हिंसा ने एटम बम और हाईड्रोजन बम को जन्म दिया है। चौराहे पर खड़ी हो कर आज मानवता निराशा की दृष्टि से देखती है। अन्त में मानवता के सामने हमारे पूज्य बापू का हंसता हुआ चेहरा नजर आता है। यदि आज हम अपने अहिंसा, प्रेम और सत्य के आदर्श को यदि पशु की ओर भी ले जाना चाहें तो यह किसी के दबाव के कारण नहीं है किन्तु क्रांति के केवल पहले पहलू

को आगे बढ़ाने के लिये है। मानवता के कारण करुण चीत्कार को मानव के हृदय तक ले जाने के लिये यह बिल लाया गया है, तो इसके लिये किसी दल विशेष को गौरवान्वित करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आखिर इस विधेयक के लिये मैं बधाई किस को दूं। शायद वह यह कहेंगे कि यह कर्त्तव्यपालन स्पष्ट रूप से उस बल के द्वारा किया गया है, जिसने अपना चुनाव-चिह्न जूवेदार बैलों की जोड़ी रखा है। अगर मुझे बधाई देनी ही है तो मैं इस सदन के सारे सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि जिनके कार्यकाल में यह विधेयक उपस्थित हुआ है।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाई लक्ष्मीरमण आचार्य का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा सुन्दर व्याख्यान देकर हमारे कुछ मित्रों ने जो शंकायें इस विधेयक के सम्बन्ध जाहिर की थीं, उनका पूरा-पूरा जवाब दिया है। उसकी वजह से मेरे काम में बड़ी सहूलियत हुयी। इसके सिवाय, मैं अपने अन्य माननीय सदस्यों का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने चारों तरफ से इस बिल का स्वागत किया। दो एक भाइयों ने कुछ दबी जबान से इस बिल की मुखालिफत में बोलने की चेष्टा की, लेकिन फिर भी इस बिल के जहां तक सिद्धांत का ताल्लुक है, ध्येय है उससे वह भी मुखालिफत नहीं कर सके। इसलिये भी मेरे काम में बहुत आसानी हुयी। मैं पहले सोचता था कि आचार्य जी के बाद मैं इस सदन का समय न लूं, लेकिन फिर भी मिनिस्टर इन चार्ज होने के नाते मेरा यह कर्त्तव्य है कि जो दो चार बातें इस बिल के बारे में कही गयी हैं उन पर रोशनी डालने का प्रयत्न करूं। मैं तमाम तफसीलों में नहीं जाना चाहता हूं। केवल मुख्य-मुख्य एतराजात के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। एक एतराज यह किया गया कि इसमें धार्मिक पहलू है, आर्थिक पहलू कतई नहीं है। हमारे भाई शाहिद फाखरी साहब ने तो इस हद तक जाने की कोशिश की कि उन्होंने यह कहा कि गवर्नमेंट के पास साहस नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिये था कि वह साफ तौर से यह कहती कि वह धार्मिक दृष्टिकोण से यह विधेयक लायी है। मैं अपने मित्र को जो हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे, यह साफ कह देना चाहता हूं कि यह सरकार वह सरकार है जिसके साहस के बारे में उनको क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है। हम डर कर कोई काम नहीं करते। हम अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं, किसी को पसंद आये न आये। इस तरह से हमने बड़े-बड़े काम किये। जमींदारी उन्मूलन का सवाल था, २५ लाख जमींदार थे उनमें से अधिकांश को वह बात कतई पसन्द नहीं थी लेकिन इस सरकार ने बहुत ही हिम्मत और साहस के साथ उस प्रश्न को लेकर जमींदार उन्मूलन किया और उससे जनता का कल्याण हुआ। ऐसे-ऐसे बड़े कामों में भी सरकार ने बुजदिली से काम नहीं लिया। मुझ पर, सरकार पर, और सुल्तान आलम खां साहब पर यह भी दोषारोपण किया गया कि हमारे दिल में कुछ और है और जबान पर कुछ और। उन्होंने यह कहने का साहस किया कि मेरी तकरीर से मेरे दिल की बात जाहिर हो गयी। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि मेरी तकरीर का वह एक भी लफ्ज ऐसा बतायें जिससे साम्प्रदायिकता की भावना टपकती हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरे दिल में है वही जबान पर भी है। मेरा जाहिर और बातिल अलग-अलग नहीं है।

जब से यह प्रश्न इस सरकार के सामने आया तो पहले पहल इस सदन में इस सरकार ने एक वायदा किया था। इस सम्बन्ध में उस वायदे की पूर्ति के लिये उसने कदम उठाया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल ४८ है जो इस सदन में कई बार पढ़ा जा चुका है, मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता। उस आर्टिकल

[श्री हुकुमसिंह]

में कुछ ऐसी बातें दी गयी हैं जिनका संपन्न करना राज्य सरकार का परम कर्त्तव्य है । उसमें ऐग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन, पशुओं की रक्षा और प्रीजरवेशन के आदेश दिये गये हैं तथा बाद में गो संरक्षण के बारे में भी उसमें बताया गया है । क्या मैं मौलाना फाखरी साहब से पूछ सकता हूं कि क्या यह आर्टिकल साम्प्रदायिकता के आधार पर संविधान में बनाया गया है ? नहीं, वे नहीं कह सकते क्योंकि जब यह संविधान बना तो मौलाना साहब ने हमारे साथ कसम खायी थी कि हम अक्षरशः उसका पालन करेंगे । अगर यह साम्प्रदायिक होता तो मौलाना साहब जिनमें बहुत साहस और हिम्मत है वे कभी उसके मुताल्लिक कसम खाने के लिये तैयार न होते और आज जब सरकार उसके बारे में कोई काम कर रही है तो कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित होकर कर रही है । उसी आर्टिकिल के अन्तर्गत यह उत्तर प्रदेश की सरकार आज यह विधेयक लायी है । जिस वक्त इस सदन में हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने यह वायदा किया था १२ दिसम्बर, १९५२ को कि हम इस गो के प्रश्न को उसके सारे अंगों पर विचार करने के बाद कुछ निर्णय करेंगे और उस निर्णय के बाद हम एक विधेयक लायेंगे । उस वायदे को कायम करने के लिये ५ अप्रैल, १९५३ को एक प्रस्ताव के द्वारा गो सम्वर्द्धन कमेटी की स्थापना हुयी, वह प्रस्ताव इस प्रकार है । मैं उसको आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं—

"सरकार द्वारा विधान सभा को १२ दिसम्बर, १९५२ को दिये गये वचन के अनुसार सरकार ने भारत के संविधान की धारा ४८ के अनुकूल ऐसे उपायों को निर्धारित और लागू करने की तरफ प्रारंभिक रूप में गो सम्वर्द्धन जांच समिति के नाम से एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे " . . . . इस प्रस्ताव से भी साफ जाहिर है कि यह सरकार आर्टिकल ४८ में दी हुयी बातों को सम्पन्न करने के लिये कदम उठाना चाहती है । जिस आर्टिकिल में कोई साम्प्रदायिक भावना नहीं और जिसके बारे में कभी शक भी जाहिर नहीं किया गया है, अगर उसके अनुकूल काम करने के लिये यह सरकार कदम उठाती है तो ऐसा कहना कि सरकार साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित होकर ऐसा करती है, यह सर्वथा निर्मूल और गलत है । इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे इस विधेयक में भी धारा २ के सब-क्लाज (ए) में जहां पर बीफ का डेफिनिशन दिया हुआ है और जिसके मुताल्लिक हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके खिलाफ अपनी राय जाहिर की है, उसके देखने से और धारा ५ का जो एक्सेप्शन दिया हुआ है उसके मुताल्लिक इन दोनों के देखने से और धारा ४ के (क) और (ख) को देखने से यह साफ जाहिर होता है कि साम्प्रदायिक भावना इसके करीब नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रोविजन के होते हुये यह कहना कि साम्प्रदायिक भावना के आधार पर यह बिल निर्धारित किया गया है सर्वथा गलत है । हमारे मित्र फाखरी साहब से श्री सुल्तान आलम साहब के बारे में कह दिया कि वे पहले कम्युनल थे लिहाजा डर के मारे अब उन्होंने इस बिल का समर्थन किया । क्या बात कही ? ऐसी बात इस सदन के किसी माननीय सदस्य के बारे में कहना सर्वथा अनुचित और नामुनासिब है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई कितना ही गुमराह रहा हो, अगर वह राहे रास्त पर आकर ठीक बात कहे तो उस शख्स को हम उस शख्स के मुकाबले में जो राह राह पर रहने का दावा करता हो और गलत बात कहता हो, बहुत ज्यादा पसन्द करते हैं । लिहाजा . . . .

श्री शिवमंगलसिंह कपूर (जिला बस्ती)—मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री हुकुमसिंह—वह तो ११ बजे सवाल पूछा जाता है । (हंसी)

इसके अतिरिक्त एक बात और इस विधेयक के सम्बन्ध में कही गयी कि जनसंघ के सत्याग्रह के खौफ की वजह से यह विधेयक इस सदन में लाया गया है । इसके बारे में भी हमारे मित्र आचार्य जी ने बड़े सुन्दर ढंग से जवाब दिया । आचार्य जी की भाषा मैं ला नहीं सकता और वह रवानगी भी मेरी जबान में नहीं है और न उस ढंग से मैं अपनी बातों को दर्शा सकता हूं । लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने १२ दिसम्बर, सन् ५२ को इस सदन के सामने वादा किया था इस प्रश्न पर विचार करने के लिये, और

आंदोलन कब हुआ ? इने गिने कई महीने हुये, लिहाजा इसको उससे जोड़ना, जो कहते हैं वे अपने दिल में खुशी मना लें, लेकिन आम जनता समझती है कि पटवारियों ने भी आंदोलन किया था और सरकरार ने क्या किया यह सब को मालूम है । मुदर्रिसों ने भी आन्दोलन किया था और सरकार ने क्या किया वह भी सब को मालूम है । इन आंदोलनों से सरकार कभी घबड़ाती नहीं है, उन से प्रेरित नहीं होती, जो महत्वपूर्ण और मुश्किल काम हैं उन्हें हमेशा सरकार सावधानी से करना चाहती है । बहुत से मित्रों ने कहा कि इस बिल के लाने में देर हुयी । मुश्किल काम में देर हमेशा हुआ करती है । अब इतने दिन में लाने के बाद भी माननीय गौतम जी ने और श्री गेंदा सिंह जी ने नाता जोड़ा और कहा कि यह बिल बड़ा इनकम्पलीट है और सरकार इसको फिर से रिड्राफ्ट कर के पेश करे । यह एक ऐसा मसला है कि इसमें जितना ही सोचिये उस में उतना ही मजा आयेगा, इसमें काफी गौर और वक्त लगना जरूरी ही था, ऐसे कामों में वक्त लगता है, कुछ दिन में कोई चीज मुकम्मिल नहीं होती, अगर मुकम्मिल हो जाय तो जिन्दगी का लुत्फ ही जाता रहेगा, "लिव एन्ड लव" का मामला है । इसलिये यह कहना भी गलत है कि किसी आंदोलन के फलस्वरूप यह आया है । सरकार इसको उचित समझती है कि हमारे संविधान में जो आदेश है उसका पालन किया जाय, आर्टिकल ३७ अगर पढ़ा जाय तो उसमें साफ लिखा है कि यह राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वह डायरेक्टिसव प्रिंसिपल्स पर अमल करें । लिहाजा उस कर्त्तव्य का पालन करने के लिये हमने ऐसा किया है, कोई अपने मन से नहीं किया है । उसी डायरेक्टिव को पूरा करने के लिये हम इस बिल को लाये हैं न कि किसी आंदोलन के खौफ खतरे की वजह से, यह मैं साफ कर देना चाहता हूं ।

जहां तक इसमें साम्प्रदायिक भावना की बात है, हमारे भाई गौतम जी ने भी इस मामले में जनाब शाहिद फाखरी साहब से नाता मिला लिया और कहा कि इसमें रिलीजस टिन्ज जरूर है, जैसा कि आज के पायनियर में रिपोर्टिंग है, उसमें यह दिया है कि ऐसी बात उन्होंने कही, इस बारे में मैं ज्यादा सफाई नहीं देना चाहता, केवल इतना कहूंगा कि जो असलियत है वही हम ने किया और इस सरकार ने किया । एक तुलसीदास जी की चौपाई यहां कहना चाहता हूं कि "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी"। इस चौपाई के बाद आप जो चाहें कहें और समझें ।

सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से जो किया वही वह कहती है, कोई छिपाने की बात नहीं है । जो हम समझते हैं वही करते और कहते हैं । इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह गो सम्वर्धन कमेटी कायम हुयी उसमें नवाब छतारी साहब भी मौजूद थे, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब साहब भी थे, मोहम्मद अखतर साहब जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, वे भी थे । सब जानते हैं कि नवाब साहब उस जमाअत के थे, जिनके साथ मुसलिम्स का बहुमत था, अगर इसमें जरा भी कम्युनल भावना होती तो यह रिपोर्ट कभी यूनानिमस तरीके से न आती, उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से और निहायत सोच समझकर, ऐग्रीकल्चरल मुल्क की जरूरत को समझकर अपनी सलाह दी और इस मुल्क से गौबध के हटाने को अनिवार्य और आवश्यक समझा और उन्होंने सर्वसम्मति से गोबध के विरुद्ध राय दी और साम्प्रदायिक भावना को इसके करीब भी न आने दिया । नवाब साहब की तरफ से किसी को ऐसा भ्रम भी नहीं हो सकता कि उन्होंने किसी ओहदे की ख्वाहिश से ऐसा किया, क्योंकि कौन सा ऐसा ओहदा है जिस पर वह नहीं रहे या न रह सकते हों । फाखरी साहब ने भी कहा कि मुझे किसी को न खुश करना है न मुझे किसी ओहदे की ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो बहुत माननीय सदस्यों को नहीं है, लेकिन उनमें वजादारी है वह ऐसी ख्वाहिश का जिक्र नहीं करते, लेकिन वह जिक्र करते हैं उनको अख्तियार है, करें ।

इसके बाद एक बात टिन्ड बीफ के डेफनीशन के बारे में और ऐयरक्रैफ्ट और रेलवे पर बिकने के बारे में एतराज किया गया । मैंने भी इसको सब पहलू से देखा और हर पहलू से विचार किया । यह मसला बड़ा टेढ़ा है । हमने कानूनी मशविरा भी इसके लिये और बड़े बड़े कानूनी माहरीन से परामर्श किया । सभी से यह सलाह मिली कि वैधानिक आपत्तियों को बचाने के लिये इसको रखना निहायत जरूरी है । इसलिये मैंने इसको रखा है वरना मैं इसको कोई जरूरी

[श्री हुकुम सिंह]

नहीं समझता था कि इसको रखा जाय। लेकिन हम किसी वैधानिक बात की जद में नहीं आना चाहते। यह ऐसा अहम मसला है, ऐसा अहम विधेयक है जिसकी पूर्ति करके हम जल्द अज जल्द लागू करना चाहते हैं, ताकि हमारे काम को आगे बढ़ाने में जितनी ही देर होती है उतना ही तेजी से देश का नुकसान होता है इस नुक्ते ख्याल से रखा गया है वरना जैसा कि माननीय सदस्यों ने एतराज किया मैंने उस पर और भी ध्यान दिया और दोबारा सहबारा फिर भी मशविरा किया। लेकिन फिर भी मैं उसी जगह पर हूं जहां पर था। तो इस तरह से हमारे रास्ते में दिक्कतें हैं, इसलिये ऐसी बातें रखी गयी हैं।

इसके अलावा हमारे गेंदासिंह जी ने और गौतम जी ने एक बात और कही कि साहब यह इतने महत्व का प्रश्न है और इसको प्लानिंग कमीशन को रेफर कर दिया जाय। अगर एकनामिक ग्राउन्डस हैं तो प्लानिंग कमीशन को भेजा जाय और वह सेंट्रल गवर्नमेंट को परामर्श दे कि ऐसा गोबध बन्दी विधेयक वह लाये जो सारे हिन्दुस्तान के लिये एकसां लागू हो। क्या बात कही? मैं यह तो कह नहीं सकता कि संविधान उन्होंने नहीं पढ़ा। यह कहने का साहस मुझमें नहीं है और सब बातें कहने का साहस है अगर संविधान की धारा ४८ को ही पढ़ लेते तब भी उससे साफ जाहिर हो जाता कि यह आर्टिकल राज्य सरकार को हिदायत देता है कि ऐसा करे। केन्द्रीय सरकार को हिदायत नहीं करता राज्य सरकार को करता है। आर्टिकल ३७ में भी राज्य सरकार का कर्त्तव्य होता है कि ऐसा करें। इसकी लिस्ट 'बी' जो संविधान के साथ लगी है उसमें स्टेट लिस्ट जो है उसके आइटम १५ में भी दिया है कि इस सम्बन्ध में कानून बनायेगी तो राज्य सरकार बनायेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट नम्बर १ में इसका जरा भी जिक्र नहीं है। ऐसी सूरत में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिफर करने से क्या फायदा जिसको कानून बनाने का अख्तियार न हो। तो इस तरह की बात कहना कि वहाँ भेज दिया जाय, इससे क्या मतलब है? प्लानिंग कमीशन का इससे क्या ताल्लुक। अब मैं ऐसी-ऐसी बातों का क्या जवाब दूं। हमारे माननीय राजनारायण जी परसों बोलते-बोलते मुझसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या इस स्टेट के बाहर गोकशी गोकशी नहीं है। इसका जवाब हां है गोकशी, लेकिन हमको वहां क्या अख्तियार कि बिहार में ऐसा कोई कानून बनायें, वेस्ट बंगाल के लिये कानून बनायें, इस स्टेट को केवल अपने क्षेत्र के अन्दर अधिकार है कि हम ऐसे कानून बनावें, अगर बाहर होता है तो मुझे अफसोस है, होगा लेकिन मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लिहाजा इस तरह के सवाल उठा करके सेंटीमेंट से प्ले करना जब ऐसा महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने हो, उचित नहीं प्रतीत होता। मैं तो कहूंगा कि जब तक सब स्टेट अपने यहां ऐसा कानून नहीं बना लेतीं तब तक गोबध सारे हिन्दुस्तान में नहीं बन्द हो सकता। जो स्टेट बना चुकी हैं या बनाने वाली हैं उनके यहां बन्द हो जायगा। बाहर के लिये रोकथाम नहीं कर सकते और यही एक दिक्कत हमारे लिये है। कलकत्ते से कोई हवाई जहाज पर चले और लेकर चले या कोई शख्स ऐसा हो जो सप्लाई करता हो बोनाफाइड पसेंजर्स को तो हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। रेल में अगर कोई लेकर चले तो हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन जिस वक्त सब स्टेट्स में ऐसा कानून बन जायगा तो खुद ही सब बातें रुक जायंगी, जरा भी कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं। हमारे मित्र राजनारायण जी ने एक बात और कही। एक भूखा था। उससे कहा एक और एक। उसने कहा दो रोटी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से वह फायदा नहीं हो सकता जिस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड से। कहां रिडिस्ट्रिब्यूशन आफ लैन्ड और कहां गोबध निवारण विधेयक। कहां से कहां मिलाया। क्या बतलाऊं कहां से कहां चले गये। उनके मिलाने की कोई हद बाकी रह गयी? मुझे कोई ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ लेकिन ऐसी बात है। इस तरह की परेशानियां हैं।

हमारे भाई गेंदा सिंह ने क्या बात कही। कहने लगे कि हर ५ गांव के पीछे एक सांड़ होना चाहिये। पहले गौ की रक्षा करो, फिर अच्छे सांड़ पैदा करो, लेकिन बिना गौ की रक्षा किये अच्छे सांड़ कहां से पैदा हो जायेंगे।

एक बात और कही गयी कि चारे का कहीं प्रबंध नहीं है। एक बात यह भी कही गयी कि साहब इन अलाभदायक पशुओं का क्या होगा। इस विधेयक में कहीं जरा भी उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगर वे धारा ६,७ पढ़ लेते तो उनको साक्षात् मालूम हो जाता कि जिक्र है या नहीं। धाराओं में पूरी तफसील नहीं लिखी जाती। धाराओं में जो मंशा होती है नियम बना कर उस मंशा की पूर्ति की जाती है। ६ और ७ में इसका जिक्र है। ८ में भी जिक्र है। राजनारायण जी ने इसमें "टु लेवी" की भी मुखालिफत की है। इससे मालूम होता है "कैट इज आउट आफ दी बैग" बिना पैसे के कोई काम दुनिया में हो नहीं सकता। इसकी मुखालिफत करने के मानी यह हैं कि विधेयक को रद्दी कर दें और गो रक्षा बिल्कुल हो नहीं। अलाभदायक के लिये हमारे मित्र मौलाना नसीर साहब ने एक बात ऐसी कह दी, जिसके लिये मैं उनका बड़ा आभारी हूं। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं रही। फाखरी साहब ने कहा कि लीजिये गो बध तो बन्द किये देते हैं, लेकिन बूचर्स के रोजगार का कोई इन्तजाम नहीं और जब जमींदारी २५ लाख आदमियों की खत्म हुयी तो हमारे मित्र ने कभी कोई आवाज नहीं उठायी कि रोको यह बिल, आगे न बढ़ो पहले २५ लाख के खाने पीने का इन्तजाम कर दो। कभी ऐसी बात नहीं कही। इससे पता चलता है कि उनके दिल की भावना क्या है। जबान पर तो कहते हैं कि इस बिल के साथ हैं, लेकिन तकरीर से इसके बिलकुल खिलाफ, इसी तरह मौलाना नसीर साहब ने इस बिल के लिये कहा कि गोबध रोकना तो बहुत जरूरी था, लेकिन एक बात उन्होंने कही और वह यह कि अलाभदायक पशुओं को बध करने की इजाजत होनी चाहिये। एक बात उन्होंने कही, मैं उससे इतफाक करूं या न करूं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं बड़े नम्र शब्दों में कि बुड्ढों और बेकारों को खत्म करने का उसूल वे रायज न करें। इसके रायज हो जाने पर बड़े खतरात हैं और वे उस खतरे के नजदीक जा रहे हैं। ऐसे उसूल को कायम करना हर तरह से नामुमकिन है, अनुचित है, इस वजह से मैं कहता हूं कि उनके लिये हम प्रबंध करेंगे और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि हमारे राजा साहब जगम्मनपुर ने जैसे बड़े साफ लफ्जों में कहा है कि तन, मन, धन से मदद करने को तैयार हैं, मुझे हर माननीय सदस्य से आशा है, यह एक ऐसा प्रश्न है और हम फाखरी साहब से भी पूरी पूरी उम्मीद करते हैं कि वह भी हमारी पूरी पूरी सहायता करेंगे। अलाभकर पशुओं का जो प्रश्न है उसको हल करने की हम भरसक चेष्टा करेंगे और सब मिलजुल कर करेंगे। तो नामुमकिन है कि कामयाबी न हो।

गेंदा सिंह जी ने कहा और भाई हमारे गौतम जी ने भी कहा कि पहले चरागाह का इंतजाम कर लो तब गोबध बन्द करो। तब तक मरने दो। फिर हम से पूछेंगे कि गउओं की तादाद में कमी क्यों हो गयी, हल जोतने के लिये बैल क्यों नहीं मिलते हैं। फिर कहा कि इस विधेयक में चारे का, ब्रीडिंग का, वेटरिनरी, ऐनिमल हस्बेंडरी आदि का कहीं जिक्र नहीं। सारी बातें इस विधेयक में आ जायं। ऐनिमल हस्बेंडरी, ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग काम कर रहे हैं। उनको जो इस दिशा में करना है वह कर रहे हैं। मैं अभी तफसील के साथ बताऊंगा। इस विधेयक में लाने की क्या जरूरत? इस विधेयक में लाकर फिर चार रोज और बहस करवायें। जो काम आज चल रहा है उसमें भी रुकावट डालें। हर चीज हर कानून में नहीं होती। पशुचर का कहां तक ताल्लुक है। अगर धारा १४ कंसालिडेशन आफ होल्डिंगज अमेंडमेंट ऐक्ट पढ़ लें तो उसमें भी लिखा है कि जब कंसालिडेशन होगा तो एक प्रतिशत गांव की जमीन को अलग किया जायगा पशुचर के लिये। इसके माने यह हैं कि हर गांव में पशुचर रहेगा। मेल खाता हो या न खाता हो, ऐसा कानून बनाने का तरीका नहीं है। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार गाफिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप कुछ समय लेंगे ?

श्री हुकुमसिंह—पांच, छः मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—फिर अभी चलने दीजिये।

श्री हुकुमसिंह—ऐनिमल हस्बेंडरी के सिलसिले में हमारे प्रदेश में १४ स्टेट मैकनाइज्ड फार्म्स हैं। वहां हमने गाय की हरियाना, साहिवाल, सिंधी, गंगातीरी आदि जितनी अच्छी अच्छी नस्लें हैं उनको रख कर के ब्रीड की नस्ल बनाना चाहते हैं। वहां से हम गउएं और अच्छे अच्छे

[श्री हुकुमसिंह]

सांड़ कम्युनिटी और एन०ई० एस० ब्लाक्स में देते हैं और करीब तीन हजार से अधिक हम गउएं दे चुके हैं और तीन हजार से अधिक सांड़ भी दे चुके हैं। हमारा सूबा बहुत विस्तृत है और लम्बा चौड़ा है। काम भी बहुत है। लिहाजा यह कहना कि सब एक ही दिन हो जाय और उसको मुकम्मिल कर लें तब इसको लायें तो 'रोम वाज नाट बिल्ट इन एडे।' उसमें काफी समय लगेगा। तब तक यह विधेयक स्थगित रहे। मैं इससे सहमत नहीं। हमने ४७ की ब्लाक कायम किये हैं। उनमें नैचुरल और आर्टिफिशल इंसिमिनेशन का प्रबंध है और दवादारू का भी प्रबंध है। धीरे धीरे हम सारे सूबे में बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे जानवरों की नस्लें बढ़ें। चारे के सिलसिले में भी हमारे कई फार्म हैं जहां पर रिसर्च का कार्य हो रहा है। जहां तक पश्चिमी जिलों का ताल्लुक है हमारे बहुत से माननीय सदस्य वहां से आये हैं वहां तो इस बात का रिवाज है कि चारा बोते हैं बरसीम बोते, नेपियर बोते, लूसम बोते, मोथा बोते, चरी बोते हैं। यह देवरिया ऐसे जिलों में नहीं बोया जाता। तो एक देवरिया की वजह से सारे सूबे को कंडेम कर दिया जाय। मैं यह किसी तरह से ठीक नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि देवरिया जिले में भी और पूर्वी जिलों में भी जहां ऐसा दस्तूर नहीं है यह बात फैलायी जाय और उसमें हमारे गेंदा सिंह जी हम से सहयोग करें ताकि हम काफी प्रचार करके लोगों को आकर्षित कर सकें और वह चारा काफी तादाद में ग्रो करें। वह चारा ग्रो करना चाहते ही नहीं तो उनके मवेशी अच्छी कैसे हो? हम मदद करने के लिये तैयार हैं, हर तरह से सहायता करने को तैयार हैं, सरकार भी सहायता देगी, लेकिन लोगों में एक रुझान जरूर पैदा होनी चाहिये। हम जो अच्छे अच्छे बुल तैयार करेंगे उनको सब्सीडी देने के लिये निश्चय किया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम एन० ई० एस० ब्लाक और बढ़ाना चाहते हैं, गोसदन भी बढ़ाये जायेंगे और हम गोशाला वगैरह की मदद भी बढ़ाने जा रहे हैं। वेटेरीनरी हास्पिटल जो हमारे ५२ हैं उनको भी हम बढ़ाने जा रहे हैं और प्रदर्शन वगैरह करके लोगों की इस तरफ तवज्जह दिलाना चाहते हैं।

हमारा मथुरा कालेज इसी विचार से खोला गया कि हम वहां असिस्टेंट वेटरीनरी सर्जन पैदा करके तमाम सूबे में अस्पताल खोल दें और वहां उनको तैनात कर दें, ताकि वह पशुओं की सेवा कर सकें। जैसा कि मैंने कहा स्टाकमैन की भी ट्रेनिंग होती है और १०० आदमियों को लाइव स्टाक सुपरवाइजर की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इस तरह से हम उन रोगों से लड़ने का इंतजाम कर रहे हैं जो हमारे पशुओं में फैले हुये हैं। हमारे यहां रिसर्च भी हो रही है वैक्सीन वगैरह की और वैक्सीन प्रोडेक्शन भी बादशाह बाग में हो रहा है। ७१ लाख यूनिट १९५२-५३ में हुआ था, १९५३-५४ में और ज्यादा पैदा किया गया है। अभी आजमगढ़ के बारे में सवाल हुआ था कि ४० मांगा था, कम क्यों भेजा गया। तो उसको हम सैलाबी इलाके में पहुंचा रहे हैं। रेंडर पेस्ट एक ऐसी बीमारी है कि जिससे जानवरों को काफी नुकसान पहुंचाता है। उसकी भी हम रोकथाम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ५२ अस्पताल हमारे हैं उनके बाद हम १२ और नये अस्पताल खोलने जा रहे हैं और हमने ३० अस्पतालों में इक्वीपमेंट और दवाइयां ३० हजार रुपये की देकर उनको बढ़ाया है। इसी तरह से चारों तरफ ऐनीमल हस्बेंडरी में और दूसरी जगह, चरागाहों को, नस्लों को, दवादारू में उन्नति करके हमारा विभाग काम कर रहा है। लिहाजा इस विधेयक में इन सब को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन विधेयक से और इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं। जहां जहां जिस चीज की जरूरत थी वह सब इस विधेयक में रखी गयी है और इसी वजह से यह सूक्ष्म और छोटा विधेयक मालूम होता है और इसलिये मैं इसको बढ़ाने के लिये तैयार नहीं हूं। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमारे मित्र और यह सदन मेरे इस प्रस्ताव को कि इस विधेयक पर विचार किया जाय स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खंड २

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में:—

(क) "गोमांस (beef)" का तात्पर्य गाय के मांस से है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किया गया (imported) मुहरबन्द पीपों (Containers) में रखा हुआ गोमांस नहीं है ;

(ख) "गाय" के अन्तर्गत सांड, बैल, बछिया अथवा बछड़ा (bull, bullock, heifer, or calf) है,

(ग) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(घ) "वध (slaughter)" का तात्पर्य किसी भी रीति से मारण (killing) से है तथा इसके अन्तर्गत इस प्रकार से अंगहीन करना (maiming) तथा शारीरिक आघात पहुंचाना भी है जिससे सामान्य रूप में (in the ordinary course) मृत्यु हो जाय ;

(ङ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ; तथा

(च) "अलाभकर गाय (uneconomic cow)" के अन्तर्गत भटकती हुई, अरक्षित, दुर्बल, अक्षम, रुग्ण अथवा वंध्या (stray, unprotected, infirm, disabled, diseased or barren) गाय है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

"खंड २ के उपखंड (क) को निम्न रूप में परिवर्तित कर दिया जाय—

(क) गोमांस (beef) का तात्पर्य गाय के मांस से है किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में किसी विदेशी यात्री द्वारा अपने अपने ही उपभोग के लिये मोहरबंद पीपों (Containers) में लाया हुआ मांस नहीं है।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि "पीपों" के बजाय "पात्रों" ज्यादा उपयुक्त शब्द होगा।

मैंने इस वजह से यह संशोधन उपस्थित किया है, क्योंकि यहां पर जो बाहर से लोग आते हैं और जो इस प्रकार के गोमांस खाने के आदी हैं उनके ऊपर हम किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगावें और जो .....

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की हत्या का समाचार

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय भगवतीप्रसाद जी शुक्ल का स्वर्गवास हो गया है और जिन सदस्य महोदय ने बताया है वे खुद अपनी आंख से देख कर आ रहे हैं, उन्हें गोली मार दी गई।

श्री उपाध्यक्ष—यह सुना है लेकिन इसके कनफ़र्म होने की आवश्यकता है। शायद कल इस पर कुछ हो।

श्री सीताराम शुक्ल—वह आनरेबिल मेम्बर यहां मौजूद हैं जिन्होंने देखा है। मेरा प्रस्ताव है कि आज की कार्यवाही बन्द कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—कार्यवाही तो बन्द नहीं हुआ करती है, शोक प्रस्ताव हो सकता है मगर तभी होगा जब पूरे तौर पर इसकी पुष्टि हो जायगी।

माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ खण्ड २ (क्रमागत)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मैं कह रहा था कि मैंने यह संशोधन इसलिये रखा है कि गो मांस की परिभाषा में जो (Execption) है वह केवल यहीं तक सीमित रहे कि जो बाहर से यात्री आते हैं और गो मांस के खाने के आदी हैं वे अपने उपभोग के लिये उसे साथ में मुहर बंद पात्रों में ला सकें, । बाकी और लोगों द्वारा व्यवसाय के लिये गोमांस आयात करने पर प्रतिबन्ध रहे। इतना ही इस संशोधन का तात्पर्य है। मैं समझता हूं कि यहां के लोगों को इससे कोई ऐसी असुविधा नहीं होगी। जो सवाल रेस्ट्रां और ऐरोप्लेन्स का आता है वहां भी सिर्फ इतना ही करना होगा कि वे जिस वक्त यू० पी० की हद से गुजरें, उस वक्त होटल वाले या रेस्ट्रां वाले या जो कि एरोप्लेन में सर्विस करते हैं उसको सर्व नहीं करेंगे। जो स्वयं उसे लाये हैं वह उस को किसी वक्त भी खा सकते हैं। लेकिन दूसरे लोग उसको खाने के लिये प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है, जिसके ऊपर आपत्ति हो सके। इसलिये यह संशोधन उपस्थित किया है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत किये हुये संशोधन का समर्थन करता हूं। समर्थन का कारण यह है कि मैंने इस विधेयक को बड़े गौर से पढ़ा और कई ऐसी बातें इस गोमांस की परिभाषा में आती हैं कि जिसके कारण अगर यह परिभाषा में कुछ सुधार नहीं हुआ तो उसके नतायज ऐसे होंगे जो वांछित नहीं होंगे। यह परिभाषा गोमांस की जो दी गई है उसमें मुहर-बन्द पीपों में जो गोमांस आयेगा वह गोमांस नहीं समझा जायगा यानी जब तक वह मुहरबंद रहेगा तब तक गोमांस नहीं है। लेकिन ज्योंहीं, वह खुलेगा त्योंही गोमांस की परिभाषा में आ जायेगा। वध तो हमने रोक दिया। यहां का पशु अगर कोई मारा जायगा तो वध करने में भी सजा हो सकती है और वह गोमांस जो यहां कोई रखेगा अपने पास या गोमांस खुला पाया जायगा तो वह गोमांस के अन्दर आ जायगा, लेकिन जो मुहरबन्द आयेगा, वह गोमांस नहीं है। खुलने पर गोमांस हो जायगा। ऐसा इस परिभाषा से अर्थ निकलता है। तो वह जो मुहरबन्द होगा वह केवल वायुयान के यात्री या ट्रेन के यात्री के हाथ बिकेगा। तो इसका यह अर्थ निकलता है कि वह मुहरबन्द पीपे केवल स्टेशन पर या वायुयान जहां होगा वहीं खोले जा सकेंगे और कहीं नहीं खोले जा सकेंगे, क्योंकि और कहीं अगर खोला जाता है तो फिर गोमांस हो जाता है। यह लिखा है विधेयक में कि कोई गोमांस न बेचेगा न विकवायेगा। तो जब कोई बेचेगा नहीं और विकवायेगा नहीं तो इसका मतलब यह है कि वह मांस वाले पीपे जहां वह चाहेबाजार में बिके, गली में बिके, शहर में बिके, लेकिन खुला नहीं बिक सकता। लेकिन एक जो बड़ी कमी है और मैं बहुत नम्रतापूर्वक माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसमें यह कहीं नहीं कहा कि न कोई भोजन करेगा। यानी वायुयान और रेल का तो आप ने प्रबन्ध कर दिया, लेकिन अगर ऐसा ही रखा जाता है विधेयक तो फिर हर जगह कोई आदमी कंटेनर मंगा कर उस को खोल कर खा सकता है, खिला सकता है, दावत दे सकता है।

श्री हुकुमसिंह—कैसे ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—वह मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये पढ़ देना चाहता हूं धारा ५—यहां पर दिये गये अपवाद को छोड़ कर तथा समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति सिवाय ऐसे

चिकित्सकीय प्रयोजनों के निमित्त जो नियत किये जायं, किसी भी रूप में गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ न बेचेगा और न बेचने के लिये प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा।

यानी न बेच सकता है, न बिकवा सकता है। लेकिन यह कहां कहा गया है कि वह गोमांस रख नहीं सकता या भोजन के लिये प्रस्तुत नहीं कर सकता या भोजन के लिये प्रस्तुत नहीं करा सकता। जब अपवाद में आप ने लिखा कि वायुयान के अथवा रेलवे ट्रेन के वास्तविक यात्री द्वारा उपभोग के लिये कोई भी व्यक्ति गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ बेच सकता है तथा भोजनार्थ प्रस्तुत कर सकता है अथवा बिकवा और भोजनार्थ प्रस्तुत करवा सकता है, तो आपने वायुयान के लिये रखा कि वहां भोजन के लिये प्रस्तुत कर सकता है अथवा करवा सकता है, लेकिन आप ने इसमें जो धारा ५ मूल है इसमें केवल यह कहा कि न बेच सकता है और न बिकवा सकता है। तो कानून का अर्थ शब्दों पर हुआ करता है। हमारे दिल में क्या है, हमारी क्या भावनायें हैं, इससे नहीं काम चलता। कोई भी व्यक्ति आसानी से छूट सकता है गोमांस की दावत दे कर, गोमांस अपने घर में रख कर, पीपे में गोमांस रख कर वह कोई जुर्म नहीं करता। खुद खाता है और छोटे छोटे कंटेनर में मुहर-बन्द पीपों में यह गलियों में बिके, सब उस पीपे को खरीद करके उसे अपने घर में खोलकर खा सकते हैं। इसलिये यह कहना कि न बेचेगा और न बिकवायेगा। अगर बेचता है तो जुर्म होता है, अगर नहीं बेचता तो कोई जुर्म नहीं है। तो कंटेनर्स में ले जाकर के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि अगर यह शुद्ध नहीं किया गया तो फिर नतीजा यह होगा कि अगर कहीं भैंसे का बध हुआ तो उसमें गाय का मांस मिलायेंगे कंटेनर्स में से खोल कर। मैं नहीं जानता कि जो इसके माहिर हैं, जानकार हैं वह परीक्षा में गोमांस और भैंस के मांस का अलग अलग निपटारा करेंगे। भैंसे के मांस में कोई गोमांस मिला दे या गोमांस के टिन को खोल दे जब कि भैंसे का मांस बेच रहे हैं दूकान में तो कैसे इसकी रुकावट हो सकेगी? स्पष्ट होना चाहिये कि गोमांस को रखना जुर्म है। स्पष्ट होना चाहिये कि गोमांस का भोजनार्थ प्रस्तुत करना या कराना जुर्म है। जब तक यह चीज नहीं होगी तब तक इसके नतायज बुरे होंगे।

मुझे तो शंका इस बात की है कि हमारे इस उत्तर प्रदेश की बाउंडरीज में जो सीमा के जिले हैं वहां बड़ी बड़ी फैक्टरियां खुलेंगी जब कि दूसरे सूबों में प्रतिबन्ध नहीं होगा। यहां से हमारे जानवर किनारे सरहद के पास ले जाये जायेंगे, यहां के लोगों द्वारा गोवध होने के बजाय उनका उसी सरहद पर वध होगा बड़ी धूम से और जब काफी मात्रा में गोमांस आने के लिये रास्ता खुलेगा तो नतायज इसके यही होंगे कि यहां के जो मारने वाले कसाई हैं वे बोर्डर के जिलों में जायंगे और वहां से कंटेनर्स में उन जानवरों का मांस लाया जायगा और यह रोजगार चालू होगा। यहां का जो चमड़े का कारोबार है वह नष्ट होगा, यहां के लोगों की जीविका नष्ट होगी और पड़ोसी के जिलों की जीविका बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेंगे और इस तरह से टिनों में भर कर के चारों तरफ गोमांस आयेगा। जहां तक रेलवे के गोमांस का सवाल है उसके बारे में मालूम नहीं। इरादा तो यह जान पड़ता है कि जो लोग बड़े बड़े सफर करने वाले हैं वह आयेंगे, बहुत से विदेशी होंगे और वैसे भी जिनको इस्तेमाल करना है जो रेलवे यात्री हों, वह इस्तेमाल करें, क्योंकि बाहर से वह कंटेनर्स में आयेगा। इसलिये रेल यात्री या वायुयान यात्री के लिये सुविधा दी गयी। रेल में मुसाफिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते हैं और लोग रोज कचेहरियों में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो स्टेशन पर इन कंटेनर्स का एक बड़ा अंबार लग सकता है और जिनको गोमांस खाने में एतराज नहीं है वे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते हुए उसे खरीदेंगे और ले जायंगे। इस पर प्रतिबन्ध कैसे होगा। कैसे इस की रुकावट होगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन यह तो माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि संविधान की रक्षा के लिये गोमांस का निषेध कंटेनर में बाहर से अगर किया जायगा तो कठिनाई होगी। मैं इसे स्वीकार करता हूं। कंटेनर्स में गोमांस आये, यह संविधान की रक्षा के लिये आवश्यक है, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन प्रतिबन्ध कितना होना

[श्री द्वारिकाप्रसाद मौर्य]

चाहिये किस पर हो ताकि उसका दुरुपयोग न हो, यह तो बहुत ही गम्भीरता स विचारने की बात है ।

एक चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि और भी लोगों ने कहा है, दोहराने की बात नहीं है, लेकिन इन स्टेशनों को और अपने इसी उत्तर प्रदेश के स्टेशनों को गोमांस का एक बहुत बड़ा अम्बार बनाया जाय बाहर के कंटेनर्स का, यह शोभाजनक बात नहीं होगी। ये जो भोजनालय वहां हैं वे हिन्दू मुसलमान के अलग अलग भोजनालय यह जायं तब भी हमारे लिये शोभाजनक नहीं है। जब हमने हिन्दू और मुसलमान का पानी और रेस्टरां, सब का भेद मिटा दिया तो ऐसी दशा में यह लाजिमी है कि गो मांस के कंटेनर्स पृथक रेस्टरां बनाने में सहायक होंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें संशोधन होना चाहिये और जो मौजूदा संशोधन है इससे बहुत हद तक यह बुराई दूर हो जायगी । जो विधान की बात है, अगर कोई व्यक्ति खाना चाहता है तो उसके लिये इस संशोधन से कोई रुकावट नहीं होती। इसमें विदेशी यात्री की बात है और विदेश के लोग गोमांस से परहेज नहीं करते हैं और हमारे यहां भी कुछ मजहब वाले परहेज नहीं करते हैं। तो यह आपत्ति हो सकती है कि विदेशी ही क्यों कोई भी व्यक्ति जो आये अपने साथ ला सकता है। तो जहां यात्री अपने साथ लाये वह तो एक हद तक ठीक बात मालूम होती है, लेकिन जो परिभाषा में दिया है कि प्रस्तुत किया जा सकता है भोजनार्थ गोमांस तो उसमें तो यह बात होगी कि वह खुले आम रेलवे स्टेशनों पर और वायुयानों पर बिकेगा। वायुयान पर तो यह आशंका नहीं हो सकती कि बहुत बड़ी तादाद में बिक गा, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर ये कंटेनर्स धड़ाके से बिकेंगे और खुल कर बिकेंगे। वैसे तो ये कंटेनर्स बाजारों में बहुत बड़ी तादाद में बिक सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो यह कठिनाई दूर हो जायगी। अगर माननीय मंत्री इस बात से सहमत हुये हों कि धारा ५ में भोजन करने, कराने, प्रस्तुत करना या रखना भी गोमांस का जुर्म समझा जाय तो मैं उस प्रकार का संशोधन दे दूंगा और उसे वे स्वीकार कर लें तो बहुत हद तक इसमें सुधार हो जायगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चतुर्वेदी जी ने जो तरमीम पेश की है मैं उसकी ताईद करता हूं । मेरे ताईद करने का दृष्टिकोण यह है कि जिस मकसद और उद्देश्यसे सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है वह इस तरमीम के मान लेने से ही पूरा होता है। जैसा कि मौर्य जी ने बतलाया है, अगर सरकार यह चाहती है कि हमारे प्रदेश में गोवंश की रक्षा हो, बैल सस्ते मिलें, दूध हमारे प्रदेश के रहने वालों को पर्याप्त मात्रा में मिले, तो गोवंश की रक्षा अवश्य होनी चाहिये, लेकिन इसके पहले आम बहस में एक प्रश्न उठाया गया था कि जो अलाभकर पशु होंगे उनका क्या होगा? व्यावहारिक रूप में इस तरमीम के न मानने से यह नतीजा होगा कि जितने अलाभकर पशु होंगे वे हमारे प्रदेश से सटे हुये सूबों के पास के जिलों में जायंगे, वहां पर वे कटेंगे और फिर इस कानून के मातहत गोमांस पीपों में बंद कर के हमारे प्रदेश में आयेगा और लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर सचमुच माननीय मंत्री जी का और उनकी सरकार का यह मतलब नहीं है कि इस विधेयक को पेश कर के कुछ लोगों को तुष्ट भी किया जाय और कुछ लोगों का काम भी न रुके या एक तीर से दो शिकार मारने का मतलब नहीं है तब इस तरमीम को मान लेना चाहिये अन्यथा जिस उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया गया है और जिसकी घोषणा बड़े जोरदार शब्दों में माननीय मंत्री जी ने सदन में की है वह हर्गिज पूरा नहीं होगा। तब उस बड़े पैमाने पर गोमांस का आयात रोकने के लिये फिर एक नया विधेयक पेश करना होगा और उस के लिये बहुत भारी मशीनरी तैयार करनी होगी जो हमारे प्रदेश के तमाम सीमान्त हिस्सों में रखवाली का काम करेगी जो सरकार के लिये और जनता के लिये एक बोझा का विषय हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस तरमीम को ठंढे दिमाग से सोचकर स्वीकार करना चाहिये। जब कि

अखिल भारतीय पैमाने पर कोई ऐसा विधेयक नहीं बन रहा है और जैसा कि यहां के इस विधेयक की चर्चा सुन कर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो हमारे देश की सरकार के प्रधान मंत्री हैं, अपने भाव प्रकट किये थे जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, उसको देखते हुये अन्य प्रान्तों में इस तरह का विधेयक तो जल्दी आने की जरा भी कोई आशा नहीं है। तो फिर एक प्रान्त में इस विधेयक को पास करने से मैं समझता हूं कि कोई मतलब हल नहीं होगा। यह तो उसी प्रकार से होगा जैसे एक आध जिले में शराबबन्दी कर दी जाय और बाक़ी में न हो तो उसका नतीजा यही होता है कि स्मगलिंग बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है। इन चीजों को देखते हुये माननीय मंत्री जी इस पर गौर करें। मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी का उद्देश्य यही है कि गो वंश की रक्षा हो और हमारे देश में पशुधन बढ़े। हमारे यहां पशुधन किसानों को सस्ता प्राप्त हो सके और दूध प्राप्त हो और दूध से बनने वाली चीजें सस्ती और आसानी से प्राप्त हों तो इस तरमीम पर गौर करना चाहिये। जहां तक विदेशियों का प्रश्न है, जो गाय-मांस खाते हैं, चाहे इसलिये कि सस्ता मिलता है या इसलिये कि उसमें चर्बी अधिक होती है, उनके लिये जरूर अपवाद स्वरूप यह चीज रखी जानी चाहिये और वह संशोधन में रखी गयी है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरमीम को मान लेने से विधेयक का असली मकसद पूरा होगा।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने रखा है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस धारा के ऊपर जो संशोधन आया यदि उसको पढ़ा जाय तो यह मतलब निकलता है कि गो मांस का तात्पर्य गाय के मांस से है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में किसी यात्री द्वारा केवल अपने ही उपयोग के लिये मुहरबंद पीपों (Containers) में लाया हुआ मांस नहीं है। श्रीमन्, जहां तक मैंने और प्रदेशों जहां कि गोवध बंद है, जैसे कि राजस्थान में, तो जो सरकार ने यहां पर स्पष्टीकरण रखा है यह न भी रखा जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा। अगर मंत्री जी देखें तो मालूम होगा कि जिन प्रदेशों में गोवध बंद हुआ है वहां वह इतने डिटेल्स में नहीं गये हैं कि बाहर से वह कैसे इम्पोर्टेड होता है और इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हूं कि मंत्री जी या तो पूरे खंड २ (क) को निकाल दें या जो संशोधन रखा है उसको मान लें इससे उनका तात्पर्य पूरा हो जायगा। बाहर से यात्री लोग आते हैं या एम्बेसी आते हैं तो उनके लिये यह संशोधन स्वीकार कर लें, अन्यथा मैं तो कहूंगा कि अगर वह कतई न रखें तो कोई हर्ज नहीं होगा।

श्री राजाराम मिश्र (जिला फैजाबाद)---श्रीमान, उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जिस प्रकार से धारा २ का (क) खंड इस समय है उसमें गाय-मांस की जो परिभाषा दी गयी है वह इस प्रकार है कि "गोमांस का तात्पर्य गाय के मांस से है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किया गया (इम्पोर्टेड) मोहरबन्द पीपों में (कंटेनर्स) में रखा हुआ गोमांस नहीं है।" अर्थात् जैसी इस समय गोमांस की परिभाषा है उसमें इस प्रदेश में बाहर से मोहरबंद पीपों में मंगाया गया गाय मांस शामिल नहीं है। धारा ५ में गाय के मांस के बेचने पर तो प्रतिबन्ध है जैसा कि इस विधेयक की धारा का तात्पर्य है। उसमें यह हो सकता है कि गाय मांस का बेचना बन्द कर दिया जाय, परन्तु जो बाहर से पीपों में भरा मुहरबंद मांस आता है उसका यहां पर आना कई गुना बढ़ जाय और जितना इस समय बाहर से गाय का मांस आता है वह कई गुना बढ़ सकता है। उस हालत में हमारे प्रदेश के वे लोग जो इस विधेयक के प्रतिकूल हैं, जो इस समय गाय के मांस का उपयोग करते हैं, वह मुहरबन्द पीपों के जरिये कर सकते हैं और इस प्रकार से इस विधेयक की अवहेलना हो सकती है। इस संशोधन में रखा गया है कि गोमांस की परिभाषा के अन्दर केवल वही गाय-मांस जो मुहरबंद पीपों में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजाराम मिश्र]

किसी विदेशी यात्री द्वारा केवल उसके उपभोग के लिये लाया गया हो, शामिल न किया जाय। मैं समझता हूं कि विदेशी यात्री जो इस देश में आये हुये हैं और जो कि शायद दूसरी प्रकार से न रह सकें, वह मुहरबंद पीपों (कन्टेनर्स) में लाया गया गोमांस इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिये यहां पर एक्सेप्शन किया जा सकता है। मैं यह समझता हूं कि जो संशोधन किया गया है वह आवश्यक है। मैं सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब इस संशोधन को देखा जाता है और इस विधेयक की धारा २ खंड (क) को देखा जाता है तो उसको देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इस विधेयक के पास होने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं यह कहता हूं कि यह कहावत की तरह से होगा कि "खोदा पहाड़ निकली चुहिया" ऐसा कहूं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। श्रीमन्, यह कहना भी गलत है कि और प्रदेशों ने गोबध पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। मैं कल श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी का भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा था और आज भी कई सदस्यों ने कहा कि यह पहला प्रदेश है, जहां पर गोबध पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। माननीय सदस्य अगर गो सम्वर्धन समिति की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि ऐसी बात नहीं है, जिसकी कि माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने बहुत तारीफ की है और कहा है कि गांधी जी के वाक्य पर अमल किया जा रहा है, जिसको गांधी जी ने कहा था कि मैं स्वराज्य को छोड़ दूंगा और गोबध की रोक को पसन्द करूंगा। मैं आपके जरिये से माननीय सदस्यों से कहूंगा कि माननीय सदस्य पेज ६४ को देखें तो मालूम होगा कि उसमें लगभग १० प्रदेश ऐसे हैं जहां पर इस तरह के अधिनियम बने हुये हैं। मध्यभारत और बरार में भेड़ बकरी के बध पर भी रोक लगी हुयी है। श्रीमन् यही नहीं माननीय सदस्य को जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि मुगल शासन काल में भी काफी समय तक इस प्रकार का नियम था कि गोबध न हो और हाल की परिस्थितियों से विवश होकर सिंध और पश्चिम बंगाल की सरकार ने गोबध पर प्रतिबन्ध लगाना जरूरी समझा। जब सिंध की सरकार तथा पश्चिमी बंगाल की सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगा सकती है तो फिर इस सरकार को बधाई देने की जो नौबत आती है तो मैं हैरत में पड़ जाता हूं कि सरकार को कैसे लोग बधाई देते हैं। श्रीमन्, मैं इस बात को कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाता हूं कि यह विधेयक जो लाया गया है वह डर के मारे लाया गया है, नहीं तो बहुत पहले इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये था। यह संशोधन लक्ष्य की पूर्ति तो पूर्ण रूप से नहीं करता है, लेकिन यह बात सही है कि जो असली विधेयक की धारा २ के उपखंड (क) के मुंह पर ताला बन्द करता है। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि जब श्री चतुर्वेदी जैसे सज्जन एवं सरकारी पक्ष के संशोधन लाये हों तो इसको माननीय कृषि मंत्री को स्वीकार करना ही चाहिये और इतना सदन का समय जो व्यय किया जा रहा है मैं नहीं समझता कि वह क्यों किया जा रहा है। अभी जब मैंने माननीय कृषि मंत्री जी के भाषण को सुना और बहुत से माननीय सदस्यों के भाषणों की उसमें टीका टिप्पणी की गयीं तो मैं कहता हूं कि क्या वे ही टीका टिप्पणी कृषि मंत्री पर भी लागू नहीं हैं। मैं समझता हूं कि वही बात माननीय कृषि मंत्री जी पर भी लागू हैं और सही मानों में अगर वे गो मांस की उन्नति चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि गोवंश की उन्नति से उनका देश और प्रदेश भी समुन्नत होगा और अगर आप यह भी ख्याल करते हैं कि इससे किसी के डर या बहुत बड़ी आबादी वाली जाति या धर्म को ठेस पहुंचने वाली नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि वे शंभूनाथ चतुर्वेदी जी के संशोधन को स्वीकार कर लें। ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं, जिनके खाने पीने, रहन-सहन पर हम कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते, इसका हमको अधिकार भी नहीं है, लेकिन अपने प्रदेश के रहने वालों पर तो प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। जब आपकी और संविधान की यह सदिच्छा है कि इस तरह की रुकावट डाली जाय तो माननीय कृषि मंत्री जी को सहर्ष संशोधन स्वीकार करना चाहिये।

*श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शंभूनाथ जी चतुर्वेदी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि विदेशी शब्द से मतलब यह है कि जो दूसरे देश से आये हों, लेकिन भारत का रहने वाला कोई भी आदमी विदेशी नहीं है चाहे वह गोआ में बसता हो या पाकिस्तान में बसता हो, वह भारतवासी है। मैं समझता हूं कि भारतवासी कोई भी विदेशी नहीं हैं। मेरा मतलब इससे यह है कि अरब से आया हुआ या किसी और देश से आया हुआ अगर कोई आदमी हो तो वह विदेशी शब्द के अन्तर्गत आ सकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी के संशोधन का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस हाउस के मत को जान गये होंगे और इसको मान कर वे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी को इसके मानने से कोई हर्ज नहीं होगा।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों को जो २ पर आये हैं, देखने से पता चलता है कि १ से लेकर १४ (ख) तक बहुत से संशोधन इस खंड पर आये हैं। कुछ संशोधन ऐसे हैं, जो साफ तौर से "किन्तु" के बाद आने वाले शब्दों को रखने से मना करते हैं। वे कहते हैं उनको निकाल दिया जाय और कुछ संशोधन ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि कंटेनर में जो मांस बाहर से आता है उसको निकाल दिया जाय। मैं समझता हूं कि गो मांस की जब हम डैफनीशन करते हैं, तारीफ करते हैं, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि गो मांस क्या चीज है और क्या प्रतिबन्ध उसके ऊपर हमें लगा देना चाहिये। अगर हम इसको विचारपूर्वक देखें तो हमें पता लगेगा कि जिस उद्देश्य से हमने इस बिल को बनाया है, अगर हम "किन्तु" के बाद का वाक्यांश रखते हैं तो उससे हमारे इस बिल को बनाने का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। अगर आप कंटेनर्स में आये हुये विदेश के मांस को गो मांस से अलग कर देते हैं तो उसका नतीजा हम यह समझते हैं कि उससे हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति पर बड़ा भारी असर पड़ेगा और हमारे यहां विदेश से एक दूसरे प्रान्त से किसी न किसी रूप में बहुत सा गो मांस आयेगा। और जो हमारा उद्देश्य है गोबध को अपने प्रान्त में खतम करने का, अगर हम गोमांस को अपने यहां आने की इजाजत दे देते हैं तो इसका एक नतीजा जो मैं समझता हूं बड़ा खराब है हमारे सामने आ रहा है। हमारे आस पास के जितने प्रान्त हैं जिसमें हम नहीं कह सकते कि गोबध निषेध होगा या नहीं होगा या जिनमें कुछ समय लग जायगा, इसका नतीजा यह होगा कि जो हमारी अच्छी अच्छी गायें हैं वे दूसरे प्रान्तों में जा कर कटने लगेंगी जो असली बिल में रखा गया है कि बाहर से उत्तर प्रदेश में आयात किया हुआ, जो गोमांस है वह गोमांस की तारीफ में नहीं आता, मैं समझता हूं कि वह तो बहुत ही हानिकारक है और हमारे प्रान्त और आसपास के दूसरे प्रान्तों में मिले हुये जो जिले हैं उनके ऊपर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा अधिक पड़ने वाला है और वह प्रभाव ऐसा होगा, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। अभी भी हम यह देखते हैं कि जो जिले दूसरे प्रांत से मिले हुये हैं, वहां से अच्छी अच्छी गायें और अच्छे अच्छे बैल और बछिया वगैरह दूसरे प्रान्तों में चली जाती है और उसका एक कुप्रभाव हमारे उन इलाकों पर यह पड़ता है कि हमारे यहां अच्छी अच्छी नस्ल की गायें या अच्छे अच्छे नस्ल के बैल नहीं रह पाते। तो अगर हम अपने प्रान्त में दूसरे प्रान्त से आये हुये चाहे वह कंटेनर सीलबन्द हों या किसी भी प्रकार का गोमांस हो, अगर हम अपने यहां उसकी आज्ञा देते हैं तो उसका कुप्रभाव हमारे आसपास के जिलों में जो दूसरे प्रान्तों से मिले हुये हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। मैं मान सकता हूं कि ऐसे जिले जो हमारे अपने सूबे के बीच में पड़ते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव उतना अधिक न पड़े, लेकिन जो ऐडज्वार्यानिग डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं, जो आस पास मिले हुये जिले हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। रही बात यह कि एक विदेशी आदमी हमारे यहां आवे और बाहर से गोमांस लावे और उसका इस्तेमाल करे उसके लिये यह है कि अगर कोई यात्री बाहर से आवे और उसके देश में उसका कोई सोशल कस्टम या कानून ऐसा हो जो हमारे प्रान्त में न हो तो जब वह हमारे प्रान्त में या हमारे देश में आवे तो उसको यहां के कानून को मानना होगा। हम यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवन्तसिंह]

जानते हैं कि संसार में बहुत से ऐसे देश हैं जहां भिन्न भिन्न प्रकार के कानून हैं। अगर हम उसकी आज्ञा उसके लिये अपने देश में देते हैं तो मैं समझता हूं कि वह हमारे देश में गैरकानूनी है और यह अवांछनीय भी है। इसलिये अगर कोई विदेशी यात्री यहां आवे और अगर वह हमारे देश के कानून के खिलाफ बर्ताव करना चाहे तो हम अपने देश के अन्दर इस प्रकार की आज्ञा नहीं दे सकते हैं। इसलिये यह जो रखा गया है, बाहर से आने वाले यात्रियों के लिये रखा गया है कि वे बाहर से लाये हुये गोमांस का इस्तेमाल करें, मैं समझता हूं कि यह हर प्रकार से अनुचित है और हम इस बात को मानने के लिये हरगिज भी तैयार नहीं हो सकते कि जो हमारे देश के बनाये हुये कानून हैं उनका ठीक से पालन न हो। हम चाहते हैं कि जो यात्री बाहर से हमारे प्रान्त में आवें वे यहां के बनाये हुये कानून का पूर्णतया पालन करें वरना ऐसे यात्रियों को हम अपने देश या प्रान्त में आने की कोई आज्ञा नहीं दे सकते। इसलिये जो विदेशी यात्री यहां आवें और अपने साथ मुहरबन्द पीपे का गोमांस लावें तो अगर हम उनको इसकी आज्ञा दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि यह हमारी एक कमजोरी की बात होगी और यह किसी भी प्रकार से वांछनीय नहीं होगा। किसी भी प्रकार से इस बात की आज्ञा नहीं देनी चाहिये। तो इसलिये मैं सदन के सामने विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमें साफ तौर पर यह तय करना चाहिये कि गोमांस गोमांस है चाहे वह पीपे में बाहर से मंगाया जाय, चाहे अपने प्रान्त में हो या कहीं और का हो, और उनको अपने प्रान्त में लाने की किसी भी प्रकार से इजाजत नहीं देनी चाहिये। इसका एक और कुप्रभाव हो सकता है। जिस तरह से आजकल इल्लिसिट शराब इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ है, उसी तरह से इसमें भी इल्लिसिट गोमांस चलेगा और मुकद्दमेबाजी बढ़ेगी। आजकल इस प्रकार से बड़ी मुकद्दमेबाजी होती है कि यह शराब इल्लिसिट है या यह शराब असली शराब है। तो इसलिये अब इस बात का सवाल पड़ेगा कि अगर कंटेनर में भरा गो मांस आता है तो वह एक बार में ही सारा पीपा इस्तेमाल नहीं हो जाता, उसका थोड़ा बहुत हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है और हो सकता है कि बाकी जो हिस्सा पीपे में रह जाय वह किसी के पास रह जाय तो इस तरह के बहुत से मुकद्दमेबाजी के सवाल पैदा हो सकते हैं कि वह जो बचा हुआ मांस है वह सीलबन्द कनटेनर का है या यहीं की मारी हुयी गौ का है। इसलिये जब हम ने यह तै किया है कि हमारे यहां गौ बध नहीं होगा और न गौ का मांस इस्तेमाल हो सकेगा तो हम को साफ तौर से आना चाहिये और किसी भ्रम में न पड़ना चाहिये और किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाना चाहिये। हमारा भाव किसी को या किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हम जानते हैं कि किसी के धर्म में गाय को या किसी भी जानवर के मांस को खाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जहां-जहां जिस-जिस देश में वहां की परिस्थितियां होती हैं उन्हीं के अनुसार किसी देश में जानवरों को मारना या गोश्त खाना प्रचलित हो जाता है। अगर हम कहीं की एकनामिक स्थिति के हिसाब से समझते हैं कि इस देश में या प्रदेश में अमुक जानवर को मारना अहितकर है तो हम इस प्रकार का कानून लाने का अधिकार रखते हैं। आज गाय इस देश के लिये इतनी उपयोगी है कि हमें उसका बध न करना चाहिये। इसलिए हमें साफ तौर से तय करना चाहिये कि कोई गोश्त चाहे हमारे प्रान्त में मार कर बनाया गया हो या कहीं बाहर से लाया गया हो यहां इस्तेमाल नहीं हो सकता और न हमें उसकी आज्ञा ही देनी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना गैर मुनासिब है और हमें कतई तौर से और साफ तौर से तय करना है कि गो मांस, चाहे वह गाय का, बैल या बछड़े-बछिया का गोश्त हो, चाहे वह यहां तैयार हुआ हो या कनटेनर में कहीं से लाया गया हो वह नाजायज होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो प्रतिबन्ध "किन्तु" से आगे है वह सब ही निकाल दिया जाय। इसलिये मैं इस खंड का जो प्रतिबन्ध है उसका भी और जो हमारे भाई साहब का संशोधन है दोनों का ही विरोध करता हूं।

*श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बलवंत सिंह के इस विचार से सहमत हूं कि इस खंड का पिछला अंश जो "किन्तु" से आगे है वह हटा दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय। अगर सरकार इसको स्वीकार नहीं करती तो संशोधन में और जो मूल धारा है उसमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। अगर आप गौसम्वर्धन कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो उस से ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो दूसरे प्रदेश हैं उनमें गोबध पर पहले से ही पाबन्दी है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में भी बन्द किया जा रहा है। ऐसी अवस्था में जब उसका यहां आयात हो ही नहीं सकता तो वह आयेगा तो केवल उन्हीं प्रदेशों से आयेगा जहां पाबन्दी नहीं है या विदेशों से आयेगा या कहीं दूर के प्रदेशों या देशों से आयेगा, तो ऐसी हालत में इस संशोधन की मूल धारा से विरोध नहीं पड़ता है। इसलिये अच्छा हो कि "किन्तु" के बाद के सारे वाक्यांश को ही हटा दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय दीन दयालु जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने सदन को बताया कि इस प्रदेश की सीमा पर जो दूसरे प्रदेश हैं वहां पर गोबध पर प्रतिबन्ध लग चुका है। इसके होते हुये हमारे मित्र मौर्य जी की जो बहस थी और जो उनके खतरात थे वह नजर के सामने दिखायी नहीं पड़ते। मैंने अपने दूसरे मित्रों की भी तकरीरें सुनीं और श्री बलवन्त सिंह जी की तकरीर को खास तौर से बड़े गौर से सुना, इसलिये कि उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त लिया, लेकिन उनकी तकरीर का जो उद्देश्य था वह यह था कि गोमांस के मांसाहारियों को मांस खाने से रोक दिया जाय। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य गोबध रोकना है, मांसाहारियों को शाकाहारी बनाना नहीं है। ऐसी सूरत में हमारे मित्र की जो सारी तकरीर है वह निशाने से बिलकुल दूर और जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों का संकेत मैंने अभी अपनी तकरीर में भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो चाहते हैं कि तरमीम स्वीकार की जाय। स्वीकार करने में हमारा यह विधेयक जरूर खतरे में पड़ जायगा। मैं समझता हूं कि हर कानूनी मसले पर दो रायें हो सकती हैं और अगर ऐसा न हो तो एक मुकदमे में दो वकील दोनों तरफ से बहस न कर सकें और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने दोस्त भाई बलवन्त सिंह जी को समझाने के लिये कह रहा हूं। खुशकिस्मती से वह भी वकील हैं और मैं भी वकील था और हमारी बात को समझने में उनको आसानी होगी और मुझे भी उनको समझाने में आसानी होगी। ऐसा कोई काम करना ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक के लिये जिससे वह विधेयक ही खुद खतरे में पड़ जाय, कहां तक बुद्धिमत्ता की बात होगी। जो संशोधन है वह यह है कि विदेशी यात्रियों के लिये कर दिया जाय और जो इस देश में रहते हैं मांस खाने के आदी हैं उन पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना संविधान के कहां तक मुआफिक होगा यह तो साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन होगा कि किसी के लिये एक कानून बनाते हैं और किसी के लिये दूसरा कानून बनाते हैं? यहां के रहने वालों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं, विदेशियों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाते हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन है और यह फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। लिहाजा ऐसी शक्ल में इस तरमीम की आवश्यकता नहीं है और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर एजेंडा देखा जाय तो हमारे भाई जी को एक दिक्कत है कि कंटेनर में आयेगा, घर घर जायेगा, स्टेशनों पर ढेर लगेगा और लोगों के सामने परस दिया जायगा और सब खाते रहेंगे, लेकिन मैंने एक तरमीम दी है जो ४९ वें आइटम पर दर्ज है और उसमें ट्रान्सपोर्ट तक मना है एक्सेप्ट फार मेडिसिनल परपेजेज टु बि स्पेसीफाइड। वह आफिशियल अमेंडमेंट है। उसमें हम ट्रांसपोर्ट भी बन्द किये देते हैं। तो अब ऐसी सूरत में इस तरमीम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो खतरा था वह रफा हो जायगा। मैं कोई जिद नहीं करता कि नहीं मानूंगा मैंने ठान लिया है, कुछ वजहात हैं जिनको संक्षेप में मैंने कह दिया। तो ऐसी सूरत में ऐसी तरमीम लाकर मेरे हाथ को बांध दिया जाय और सारे कानून को खतरे में डाल दिया जाय यह कहां तक ठीक होगा। इसलिये मैं अपने भाई शम्भूनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरी बातों पर फिर सोच लें और सोच कर इस तरमीम को वापस लें। मैं आशा करता हूं कि मेरी इस दरख्वास्त को अवश्य स्वीकार करेंगे और सदन भी वापस लेने की इजाजत दे देगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मंशा कतई नहीं है कि मेरी किसी तरमीम से यह बिल खतरे में पड़ जाय। मैंने इस विधेयक को अच्छी तरह से समझा है और उसमें

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

जो संशोधन लाया उसका एक तात्पर्य था । मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक में यह गुंजाइश है कि कोई आदमी अपने इस्तेमाल के लिये गौमांस भी ला सकता है और खा भी सकता है । कोई प्रतिबन्ध इस विधेयक में इसके लिये नहीं है । यह ठीक ही है लेकिन मुहरबंद पीपों में आया हुआ मांस बाजार में बिक भी सकेगा । उसका खरीदा जाना और बेचा जाना उस वक्त तक होता रहेगा जब तक मुहर लगी है और घर ले जाकर उसे खाया जा सकता है । मैंने इस संशोधन द्वारा इस चीज को रोकने की कोशिश की है । शास्त्री जी ने जो बात कही वह सही है । इसमें सिर्फ शब्दों का हेर फेर है । इसको दूसरे ढंग से इसमें रक्खा जाय यानी पीपों वाला क्लाज निकाल दिया जाय जैसा माननीय रणंजय सिंह का या दूसरों का संशोधन है तो उसमें वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता । सिर्फ शब्दों की बात है । जो संशोधन मैंने ५ वें क्लाज में दिया है जो नं० ४० पर अंकित है उसे रखने से सब बातें पूरी हो जाती हैं और जो हमारे माननीय मंत्री जी के ध्यान में हैं, लेकिन अगर फिर भी दिक्कतें हों जिससे बिल खतरे में पड़ जाय तो एक बड़े आब्जेक्टिव के लिये मुझे इस संशोधन के वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर अवश्य विचार कर लें । यह डेफिनीशन जो है यह पंगु सी मालूम होती है । इससे शायद कुछ और थोड़ी दिक्कतें आयें, इसलिये अगर इस गौ मांस की डेफिनीशन को वैसे ही रहने दिया जाय और आगे जो संशोधन खुद लाने वाले हैं उसके द्वारा इसको परिवर्तित किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । इन शब्दों के साथ मैं संशोधन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

*श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)--आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ का उपखंड (क) निम्नरूप में रख दिया जाय:--

"गोमांस का तात्पर्य हर प्रकार के गोवंश के मांस से है और इसके अन्तर्गत मुहरबंद पीपों में उत्तर प्रदेश में लाया हुआ मांस भी है ।"

उपाध्यक्ष महोदय, गोमांस गोमांस है चाहे वह मुहरबन्द पीपों में हो चाहे जिस तरीके से हो । लिहाजा गोमांस की परिभाषा में इस प्रकार रखना इससे कोई संविधान की रक्षा नहीं होती । संविधान की रक्षा होनी चाहिये । मैं भी इससे सहमत हूं । संविधान के खिलाफ कोई भी बात नहीं होनी चाहिये । लेकिन डेफिनिशन में इस तरह से तोड़मरोड़ करना यह मेरी समझ में नहीं आता कि इससे संविधान की कैसे रक्षा होती है । मैंने जो यह संशोधन पेश किया, उसकी मंशा हमारी यह थी कि हमारे प्रदेश में गोवध बिल्कुल बन्द किया जाय । तो अगर मुहरबन्द पीपों में गोमांस आने की इजाजत है तो उससे बहुत सी खराबियां पैदा होती हैं, बहुत सी करप्ट प्रैक्टिसेज हो सकती हैं । यहीं पर बहुत से शरारती लोग या बहुत से ऐसे लोग जो गोवध करना चाहते हैं वह छिपे छिपे गोवंश या गाय को बध कर के पीपों में सील करके बन्द कर सकते हैं । अगर सरकार की यह मंशा है कि हमारे प्रदेश में गोवध कतई बन्द किया जाय जिस तरीके से सीताराम कमेटी की सिफारिश है । तो इस परिभाषा से वह मतलब हल नहीं होता । इस डेफिनीशन से छिपे छिपे लोग गोहत्या करेंगे और मुहरबन्द पीपों में बन्द करके उसकी तिजारत करेंगे । इस प्रदेश के अन्दर सब को गोमांस खाने की छूट है । जो चाहे गोमांस खा सकता है । शाकाहारी बनाने का उद्देश्य नहीं है । बल्कि सरकार का उद्देश्य गोरक्षा करना है । उस उद्देश्य की पूर्ति इस परिभाषा से नहीं होती । छूट जरूर देनी चाहिये । लेकिन गोमांस की इस तरह से परिभाषा करना, तोड़मरोड़ से इससे न संविधान की रक्षा होती है और न गोरक्षा होती है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुमसिंह---इस तरमीम के खिलाफ भी मेरी वही उक्तियां हैं जो कि श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी के तरमीम के सम्बन्ध में कहीं। इसलिये मैं और ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उम्मेदसिंह---मैं वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री हुकुमसिंह---मैंने कहा भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ का उपखंड (क) निम्नरूप में रख दिया जाय---

"गोमांस का तात्पर्य हर प्रकार के गोवंश के मांस से है और उसके अन्तर्गत मुहरबन्द पीपों में उत्तर प्रदेश में लाया हुआ मांस भी है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस समय जो यहां पर संशोधन रखना चाहता हूं वह यह है---

खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति १ के शब्द "के" तथा "मांस" के बीच में शब्द "और उस के वंश के" रख दिये जायं।

यदि माननीय श्रीचन्द्र जी उस समय उपस्थित होते जब कि उनका नाम . . .

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। यह संशोधन आ नहीं सकता। गाय की परिभाषा में वंश तो आ ही जाता है।

श्री रणंजयसिंह---यदि श्रीचन्द्र जी का संशोधन आ गया होता तो (क), (ख) बदल जाने से स्पष्ट हो जाता। लेकिन जहां पर गाय की परिभाषा की गयी है कि गाय के अन्तर्गत सांड इत्यादि सब आ जाते हैं वह (ख) में है और यह (क) में है। उससे पहले आया हुआ है इसलिये आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि इसमें वह शब्द जोड़ दिये जायं। "ख" जो है उस पर भी आगे विचार होगा। यदि "क" "ख" हो गया होता और "ख" "क" हो गया होता तो इसकी आवश्कयता नहीं थी, लेकिन परिभाषा गाय के वंशज की आगे की गई है और इसलिये मैंने यह प्रश्न उठाया है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर विचार करते समय भवन में शान्ति होनी चाहिये। यहां पर इतनी बातचीत हो रही है कि यहां पर ठीक सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर परिभाषा पहले आ गई होती तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर यह शब्द जोड़ दिये जायं तो स्पष्ट हो जायगा और इसी उद्देश्य से मैं यह संशोधन लाया हूं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रणंजय सिंह जी ने रखा है, मैं उसको अनावश्यक समझता हूं और इसलिये उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर इस विधेयक को देखा जाय तो माननीय रणंजय सिंह जी का मंशा केवल यह है कि गोमांस के तात्पर्य में गाय के वंशजों को भी रख दिया जाय। लेकिन जहां पर गाय की परिभाषा की गयी है वहां पर यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि गाय का क्या अर्थ होगा। आप देखेंगे कि खंड २ के (ख) में गाय के अन्तर्गत सांड, बैल, बछिया अथवा बछड़ा सब आ जाते हैं। इस तरह से यह अर्थ साफ हो जाता है कि जिन वंशजों की ओर उसका संकेत है वह उसमें आ जाते हैं और इसलिये मैं इस संशोधन की आवश्यकता नहीं समझता और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इसे वापस ले लें।

श्री हुकुमसिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मित्र जरा खंड २ की पहली पंक्ति को पढ़ें, "विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में" फलां लफ्ज लव्ज के यह माने होंगे। तो गाय की जो डेफिनीशन दी है उसमें गाय के अन्तर्गत सांड, बैल, बछिया, अथवा बछड़ा (bull,bullock, heifer or calf) है। तो जहां जहां गाय शब्द का प्रयोग होगा उसका मतलब इन सब से हो जायगा। कानून के यह माने हैं। तो ऐसी सूरत में इन लव्जों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और मैं उम्मेद करता हूं कि हमारे मित्र अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री रणंजयसिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह स्वभाव रहा है कि जो कुछ उचित प्रतीत होता हो उसे मान लिया जाय। मैं कभी आग्रह नहीं करता।.....

श्री हुकुमसिंह——तभी मैंने आप से कहा, भाई उम्मेद सिंह जी से नहीं कहा।

श्री रणंजयसिंह——मैंने यह संशोधन जिस अभिप्राय से रखा था उसे आपके सामने स्पष्ट कर दिया। और अगर वह मतलब पूरा हो जाता है तो मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे वापस किया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रणंजयसिंह——उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन यहां पर रखता हूं कि "खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति १ के शब्द "है" तथा शब्द "किन्तु" के बीच का अर्ध विराम हटा कर उस के स्थान पर पूर्ण विराम रख दिया जाय और उस के बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय।"

श्रीमन् जी, "किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किया गया मुहरबन्द पीपों में रखा हुआ गोमांस नहीं है।" इसको मैं निकालना चाहता हूं। यदि पीपों में रखा हुआ मांस गोवंश का मांस न होता तो दूसरी बात थी, लेकिन गोमांस तो चाहे पीपों में रखा हुआ हो अथवा खुला हुआ उसका अर्थ गोमांस से ही होता है। तो इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे इस संशोध को वापस लेने की आज्ञा न दें। क्योंकि गोमांस से यह अभिप्राय नहीं होता कि पीपों में बंद गोमांस, गोमास नहीं है।

इसलिये मैं यह समझता हूं कि कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो ठीक है। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह शब्द ठीक नहीं हैं।

श्री हुकुमसिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी हमें दिक्कत है, वही सब दिक्कतें हैं, क्योंकि आगे जो हमने विधेयक में खंड रखे हैं उन खंडों को फिर इसी लाइट में बदलना पड़ेगा और उनकी तरमीम संविधान के खिलाफ पड़ेगी। इसलिये मैं मंजूर नहीं करता।

राजा वीरेन्द्रशाह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी के उत्तर से संतोष नहीं हुआ कि उनको चूंकि और खंड बदलने पड़ेंगे इस वजह से यह ठीक नहीं होगा। मुझे यह कहना है कि जिन २ साहबों ने संशोधन पर वक्तव्य दिया है "किन्तु" के बाद जितने शब्द हैं वे व्यर्थ हैं उससे सिवाय एक जटिल समस्या पैदा होने के और कोई चीज हानिकारक नहीं होगी न यह होगा कि जिससे आप को यह कहने का मौका मिले कि यह संविधान के खिलाफ़ पड़ेगा। सिर्फ जो हम लोगों का भ्रम है वह दूर हो जाता है और विधेयक का कुछ नुक्सान नहीं होता। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को इसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी आशय का एक संशोधन दिया है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो कठिनाइयां संविधान की बतायी हैं उन कठिनाइयों को देखते हुये यह तो नहीं कहा जा सकता कि मुहरबन्द पीपों में जो बाहर से आये वह आना भी बन्द कर दिया जाय। यह जरूर दिक्कत मंत्री जी ने बतायी

वह सही मालूम होती है। लेकिन मैं फिर इस संशोधन की रोशनी में उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मुहरबन्द पीपों में आया हुआ गोमांस नहीं है तो मुहरबन्द जब तक है तब तक उसे जहां भी चाहे कोई ले जा सकता है, जहां भी चाहे उसे बेच सकता है क्योंकि गोमांस की परिभाषा में नहीं है। मुहरबन्द पीपे केवल खोल कर स्टेशन पर ही बेचे जा सकते हैं और जगह खोलकर नहीं बेचे जा सकते हैं। यह बात हर एक जो माननीय सदस्य कानून के जानने वाले खास तौर पर और वैसे भी होंगे वे इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं वे मुहरबन्द पीपे गोमांस की परिभाषा में नहीं है। इसलिये गोमांस की बिक्री तो माननीय मंत्री जी बन्द करना चाहते हैं गोमांस खाने की इजाजत आप केवल स्टेशन पर और वायुयान पर देना चाहते हैं। लेकिन मैं मंत्री जी से अदब से पूछता हूं कि वायुयान और स्टेशन के अतिरिक्त अगर बाजार में गोमांस खाया जाय तो उसे रोकने का कहां विधेयक में प्रतिबन्ध है? मारने के लिये तो दंडनीय है, गोमांस का बेचना दंडनीय नहीं है। आप अपवाद कर के स्टेशन और वायुयान के लिये कहते हैं। मैं कहता हूं कि मूल धारा ५ जो है उसमें अपवाद की कोई जरूरत ही नहीं रहती। वह तो वायुयान पर खा सकता है, रेलवे स्टेशन पर खा सकता है, हर रेल और हर बाजार में खा सकता है, क्योंकि कोई रोक है ही नहीं खाने की। खोलकर के बेचा नहीं जा सकता। खोल कर हर जगह जा सकता है। खोल कर जो प्रस्तुत किया जाता है कोई कानूनी जुर्म नहीं है। मुझे माननीय मंत्री जी बतला दें कि इस विधेयक की किस धारा में वह अपराध होगा, दंडनीय होगा। अगर कोई व्यक्ति गोमांस को कहीं खाये अथवा वायुयान और स्टेशन से भी परिवहन करना गोमांस का जुर्म हो जायगा वह जैसा संशोधन आगे आने वाला है, बेचना गोमांस का जुर्म हो जायगा, लेकिन कंटेनर में से खोल करके कहीं भी खाया जा सकता है इसमें आपने कहीं भी रुकावट नहीं डाली है। खोल कर के दावत दी जाय, वह कहां दंडनीय अपराध होगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस गोमांस की जो परिभाषा है तो वह तो अगर माननीय मन्त्री जी यह रखना चाहते हैं संविधान के कारण कि बाहर से आया हुआ कंटेनर वाला गोमांस, गोमांस नहीं है, तो मैं अपने उस संशोधन को तो नहीं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन यह प्रतिबन्ध मैं चाहता हूं कि जरूर होना चाहिए कि हर जगह जो यह चीज होगी, वह रोकी जाय। आप चाहते हैं कि स्टेशन पर या वायुयान पर इसे आप रखें कि वहां कोई खोल सकता है और खा सकता है, लेकिन हरजगह, हर गली बाजार में जो यह खोला जायगा, इस्तेमाल किया जायगा, उसकी रुकावट करने का कोई तरीका आप सोचें और वह रखें। वध करना दंडनीय है, गोमांस बेचना दंडनीय है, परिवहन भी दंडनीय है, लेकिन गोमांस का खाना कहीं भी यह दंडनीय नहीं होगा। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि केवल स्टेशन और वायुयान पर ही गोमांस भोजनार्थ प्रस्तुत किया जाना जायज हो, माननीय मंत्री जी यह नहीं चाहते कि हर जगह गोमांस खोला जाय, लेकिन विधेयक में कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। इसलिये इसको जरा एक बार फिर गौर से देख लें और अपने संशोधन के जरिये या किसी भी तरीके से इसका इन्तजाम कर दें वरना जो मंशा है वह पूरी नहीं होगी। संशोधन को तो, चूंकि संविधान के अनुसार उससे दिक्कत पड़ेगी इसलिये मैं चाहूंगा कि वह वापस ले लिया जाय, तो अच्छा है, लेकिन जो मैंने कहा है उसका प्राविजन अवश्य होना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसकी तरफ फिर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा और इस कारण करूंगा, मैं मौर्य जी से इस बात में तो सहमत नहीं हूं कि गोमांस खाने के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाय, लेकिन यह जो इसमें क्लाज डाला गया है कि बाहर से आयात किया हुआ मुहरबन्द पीपों में जो मांस है वह मांस नहीं है तो इससे सब प्रतिबन्ध ढीले पड़ जाते हैं। वह चारों तरफ से लाया जा सकता है, उसका परिवहन भी किया जा सकता है उसको बेचा भी जा सकता है और खाने के वक्त खोल लिया जा सकता है। इस तरह से वह सभी होटलों में भी बिक सकेगा, और दूसरी जगहों पर भी बिक सकेगा, ले जाया जा सकेगा, कोई उस पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं कि जो गोमांस खाने के आदी हैं, वह अपने लिये कहीं से मंगावें लेकिन यह जरूर आपत्ति है इसका

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

व्यवसाय वैसा ही चलता रहे, जैसा कि पहले चलता था। इस दृष्टि से मैं फिर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार कर लें, क्योंकि मेरा संशोधन जो ४० पर अंकित है उसको आप देखें और इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो मैं समझता हूं कि यह बात तब भी रह जायगी कि अपने उपभोग के लिये कहीं से भी मांस मंगाया जा सकता है, लेकिन उसके बाजार-बाजार में बिकने पर प्रतिबन्ध लग जायगा। इतना ही मैं समझता हूं कि इस सदन की भी इच्छा है कि बिकने की संभावना निकल जाय और संविधान का भी किसी तरह से हनन न हो, तो बहुत अच्छी बात होगी और अगर यह रही तो जितने भी संशोधन आये हैं उनसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब मुहरबन्द पीपों में रखा मांस, गोमांस है ही नहीं, तो फिर वह बिकेगा भी, और खाने के वक्त खोला जायगा। इस वजह से मैं फिर अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार कर लें, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण बात है और यह जो इसमें एक्सेशन लगा हुआ है इससे तो इस बिल का परपज ही डिफीट हो जायगा। इसलिये मैंने यह धृष्टता की है कि मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित करूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---मैं माननीय मंत्री महोदय की कठिनाई को भली-भांति समझता हूं, उनसे कई मर्तबा बात भी इस पर की, परन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय के अनुरोध को मानने से मजबूर हूं। मैं समझता हूं कि जो संविधान माननीय रणंजय सिंह जी ने उपस्थित किया है बिलकुल ठीक है और संविधान की बात जो माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यदि उपखंड (क) इस तरह नहीं रखा जाता है जैसा विधेयक में है तो संविधान हमारे रास्ते में आ जायगा, मैं समझता हूं कि संविधान कोई अड़ंगा इसमें नहीं लगा सकता है। जो संशोधन माननीय रणंजय सिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसका अर्थ यह हुआ कि "किन्तु" के बाद का सब वाक्यांश निकाल दिया जाय। मेरी राय है कि उनका संशोधन बिल्कुल उचित है, इस पर ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध अवश्य करना चाहता हूं कि यह क्लाज रिडंडेंट है, अनेसेसरी है। यही नहीं, बल्कि भविष्य के लिये, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, यह एक समस्या हमारे सामने उपस्थित कर रहा है। मैं समझता हूं कि इस वाक्यांश को अवश्य निकाल देना चाहिये।

एक बात और है। मौर्य जी के तर्क से तो मैं सहमत नहीं हूं उनका यह कहना है कि वह यह मानते हैं कि पीपा परिवहन किया जा सकता है अगर टिन मुहरबन्द हो, लेकिन खाने के लिये हर एक जगह प्रस्तुत किया जा सकता है और जो चाहे खा सकता है कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अव्वलन तो यह सही है, जैसा कि चतुर्वेदी जी ने कहा कि इसकी मंशा खाने के ऊपर तो रोक लगाने की है नहीं, जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने भी किया था कि हम तो गोवध रोकना चाहते हैं, अगर कोई बाहर से लाकर मांस खा ले तो उसका तो प्रश्न नहीं है, हमारा तो उद्देश्य इस विधेयक को प्रस्तुत करने से यह है कि गोवध रुक जाय। लेकिन माननीय मौर्य जी ने जो कहा कि गोमांस खोल कर खायेंगे और बाजारों में खरीदेंगे, मैं उनकी इस राय से सहमत नहीं हूं। गोमांस जब तक कि उस टिन में, कंटेनर में बन्द रहेगा तभी तक गोमांस नहीं रहेगा, जिस वक्त खोलते हैं उस वक्त वह गोमांस हो जायगा। इसलिये जो तर्क माननीय मौर्य जी का है वह ठीक नहीं जंचता है। उपखंड में लिखा हुआ है कि गोमांस का तात्पर्य गोमांस से है किन्तु जब तक कंटेनर में है तब तक गोमांस नहीं है। जिस वक्त खोला जायगा, वह गोमांस हो जायेगा। तो जो शंका माननीय मौर्य जी को है वह निर्मूल और निराधार है। लेकिन दूसरा तर्क है। इसमें मैं प्रस्तुत करता हूं कि संविधान हमारे रास्ते में अड़ंगा नहीं लगाता है। मैंने इस पर बहुत गौर किया है और मैं अपना कर्त्तव्य समझता था कि इसको माननीय सदन के समक्ष उपस्थित कर दूं। माननीय रणंजय सिंह जी का जो संशोधन है उसको माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे, उनसे यही मेरी प्रार्थना है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रणंजय सिंह जी ने एक बड़ा महत्व का प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया है और इस प्रस्ताव से संबंधित कुछ विषयों पर सदन ने कुछ विचार भी किया है। कल से इस प्रस्ताव पर पूरी तरह बहस हुयी है और एक मत से सभी लोगों ने यह माना है कि यदि सारे भारत वर्ष भर में हमारी प्रान्तीय सरकार का अनुकरण कर इसी तरह के विधेयक आये होते, तो हमारे लिये काम बड़ा आसान हो गया होता। जब हम एक तरफ यह महसूस करते हैं कि सारे हिन्दुस्तान में ऐसा विधेयक आया होता और गोवध निषेध हुआ होता तो हमारा काम आसान हुआ होता, तो हम क्यों न ऐसी प्रेरणा लें, उपाय सोचें और गौर करें जिससे सारे हिन्दुस्तान में रहने वाले, जो विभिन्न राज्यों में लोग रहते हैं, इन्हें प्रेरणा मिले। मैं यह समझता हूं कि मुहरबंद टिनों में अपने प्रान्त में बाहर से मांस आने देना, यह साफ छूट है कि दूसरे प्रान्तों और देशों में गोवध प्रचलित रहे। श्रीमन्, मुझे एक उक्ति याद आती है। आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों की हुकूमत काल में हिन्दुस्तान में अफीम की खेती हुआ करती थी और यहां की अफीम चीन के बाजारों में अंग्रेजों द्वारा वितरित और बेची जाती थी और श्रीमन्, शायद आपको यह भी मालूम होगा कि चीन में उस मिकदार में अफीम की खेती करने की छूट नहीं थी जितनी हिन्दुस्तान में। मतलब यह था कि हिन्दुस्तान में ज्यादा अफीम पैदा करके चीन में भेजी जाय और उनको अफीम के नशे में डुबा कर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाय। मैं तो श्रीमन्, जब इस विधेयक को देखता हूं तो मैं प्रांतीय सरकार का या माननीय मंत्री महोदय का वही रूप देखता हूं जो ब्रिटिश हुकूमत ने चीन में अफीम खिला कर लोगों को बेहोश करने की बात की थी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के गोमांस पर प्रतिबन्ध होना चाहिये, जिससे कि अगल-बगल के और प्रान्त हमारा अनुकरण करें और सारे हिन्दुस्तान में केन्द्रीय सरकार से एक बार मांग कर सकें कि एक ऐसा विधेयक केन्द्रीय सरकार में पारित हो जिससे सारे हिन्दुस्तान में गोवध निषेध हो जाय।

श्रीमन्, गोवध रोकने के लिये जो इस विधेयक का प्रयोजन है उसको हमने पढ़ा है। उसमें है दूध की वृद्धि हो, कृषि को लाभ हो। यह तो बड़ा अच्छा काम है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं कि खेती-बाड़ी की समृद्धि के लिये, दूध की पैदावार के लिये गो कि हमारे प्रयत्न बहुत कम हैं फिर भी इसकी पूर्ति के लिये गोवध निषेध कानून हम बनाना चाहते हैं, तो क्या यह सही है कि हमारे माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि दूध की वृद्धि, खेती-बाड़ी की वृद्धि गोवंश की वृद्धि सिर्फ इसी प्रान्त में हो जहां हमारे कृषि मंत्री जी हैं? क्या वह यह नहीं चाहते कि इस देश के अन्य प्रान्तों में भी जो कृषि प्रधान प्रान्त हैं उनमें भी दूध की वृद्धि हो, गो-सम्वर्धन हो, खेती-बाड़ी की वृद्धि हो? यदि यह इच्छा है कि ऐसे कानून हमारे देश के अन्य प्रान्तों में भी बनें तो मैं यह कहूंगा कि यह न्यायसंगत बात है कि माननीय मंत्री जी दूसरे प्रान्तों को अपना अनुकरणी बनाने के लिये माननीय रणंजय सिंह के संशोधन को स्वीकार कर लें। श्रीमन्, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि चोरी, डकैती या ऐसे अन्य जुर्म जो क्राइम में आते हैं उनका हमारी सरकार ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कानून बनाकर निषेध कर दिया है और यह माना है कि इस तरह का जुर्म करने वाले लोग सजा के भागी हैं। क्या मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि वह हमारे गृह मंत्री जी को इस तरह की सलाह देंगे कि इस प्रान्त में जो बसने वाले लोग हैं वे बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि में चोरी, डकैती करके वहां से धन, सम्पत्ति ला सकें तो लायें और इस राज्य में आने के बाद उनको छूट रहेगी। मैं समझता हूं कि यह जुर्म है और हमने परम्परा से यह माना है कि यह पाप है। तो फिर हम यह समझते हैं कि जब दूध की वृद्धि के लिये गाय की वृद्धि के लिये, खेती की वृद्धि के लिये और हमारी आर्थिक उन्नति के लिये गोवध निषेध आवश्यक है तो यह न्यायसंगत है कि हम सारे हिन्दुस्तान में इस तरह की आवाज उठाने के लिये लोगों को प्रेरणा दें और हम अगर अगुआ बनने का दावा करते हैं हालांकि हम हैं नहीं, चूंकि मैसूर आदि प्रांतों में पहले से ही गोवध निषेध है तो मैं समझता हूं कि ऐसा काम किया जाय जिससे यहां भी पूर्णतया गोवध निषेध हो और दूसरे प्रान्तों में भी हो।

श्रीमन्, खंड ५ में कुछ व्यवस्था है। अगर आप इसको देखें तो मालूम होगा और मैं उसकी आपकी इजाजत से आखरी लाइन पढ़ देना चाहता हूं कि "अथवा तजन्य पदार्थ न बेचेगा

[श्री रामेश्वरलाल]

और न बेचने के लिये प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा।" तो इसमें अगर बांटे या बटवाने के लिये प्रस्तुत करे तो उसके लिये इस विधेयक में इसमें कुछ व्यवस्था नहीं है। एक आदमी पाकिस्तान से या देश के किसी ऐसे प्रान्त से या सूबे के किसी ऐसे जिले से जहां गोवध निषेध नहीं है फिर वह मुहरबंद पीपों में मांस लाता है तो पहले तो यह फैसला होना चाहिये कि पीपे क्या चीज हैं, इसकी परिभाषा होनी चाहिये। लेकिन मुहरबंद पीपों में चलता है, लेकिन वह बेच नहीं सकता है। वह कानपुर जाकर खोलता है और वहां लोगों को अर्पित करता है और फिर मुहरबंद करके आगे जाता है। अगर ऐसी प्रक्रिया है तो इसकी परिभाषा होनी चाहिये कि मुहरबंद क्या है? क्या वह बांट सकता है, बंटवा सकता है।

माननीय मंत्री जी को धारा ५ की व्यवस्था पर बहुत नाज है, लेकिन इसमें बांट सकता है या नहीं या साफ है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह श्री रणंजय सिंह जी के संशोधन को मान लें। हम समझते हैं कि मंत्री जी की इच्छा है कि गोवध बंद हो। मंत्री जी ने चाहा कि मद्य निषेध हो, लेकिन लोग लखनऊ से शराब ले जाते हैं और कानपुर में जाकर पीते हैं। वही हाल इसका होगा और जो बोर्डर के इलाके में वहां पर कसाईखाने खुलेंगे और यहां की गाय वहां जाकर कटेंगी। बिहार और मध्य प्रदेश के लोग इस प्रान्त में आकर गाय खरीद कर ले जायेंगे और बूचड़खाने चलेंगे। श्रीमन्, यह भी कानून बनना चाहिये था कि सूबे में रहने वाले लोगों से बाहर के लोग गाय नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बिहार, सी०पी० वगैरा के लोग यहां से ले जायेंगे और वहां बूचड़खाने खुलेंगे और यहां से गायें जायंगी और वहां कत्ल होंगी और मुहरबंद पीपों में मांस आयगा और मंत्री जी को धारा ५ पर नाज है, लेकिन इसके बेचने की प्रक्रिया को रोक नहीं सकेंगे।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के लिये यह मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसा कानून बना सकें कि यहां की गाय बाहर के लोग न ले जा सकें तो मुमकिन है कि बाहर बूचड़खाने खुलें और मोहर-बंद पीपों में मांस आये। बाजार में न भी बिके तो भी बंटेगा तो इसको मंत्री जी रोक नहीं सकते हैं। श्रीमन्, मैं एक बात इस संशोधन से संबंधित माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और वह यह कि मंत्री जी प्रान्त में गोवध निषेध की कल्पना करते हैं और कुछ धाराओं को छोड़ कर कुछ धारायें ऐसी हैं जिन पर आगे संशोधनों के सिलसिले में विचार होगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि सचमुच में यह प्रान्त अगुआ हो, इस प्रान्त के लोग सारे हिन्दुस्तान में रहने वाले लोगों की नुमायन्दगी करें। वैज्ञानिक असर देना है तो फिर इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रणंजय सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस संशोधन में जो माननीय रणंजय सिंह जी ने रक्खा है उसमें यह कहा गया है कि खंड २ के (क) में "किन्तु" से लेकर "गो मांस नहीं है" तक यह वाक्यांश निकाल दिया जाय। मैं समझता हूं कि अगर यह वाक्यांश इसमें बना रहता है तो एक बात के लिये बड़ा भारी भ्रम पैदा हो जायगा। कुछ लोगों ने कहा है कि गोमांस बेचने के लिये धारा ५ में निषेध कर दिया गया है। जब हम खंड ५ को पढ़ते हैं तो उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि गोमांस अथवा तजन्य पदार्थ न बेचेगा न बेचने के लिये प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा। लेकिन जहां गोमांस की परिभाषा की गयी है उसमें ऐसे गोमांस को गोमांस नहीं माना गया है जो मुहरबन्द पीपों में लाया गया हो। मुहरबन्द पीपे की परिभाषा इसमें नहीं है। उसमें बड़ा भी पीपा हो सकता है और छोटा भी पीपा हो सकता है। उसके खरीदने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। चाहे वह एक पाव का हो या एक छटांक का हो अथवा दो छटांक हो। तो इस तरह का छोटा पीपा हो सकता है और ऐसे पीपे के खरीदने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ऐसी हालत में एक बात की आशंका हो सकती है और वह यह कि हमारे प्रान्त में ऐसा होगा कि हमारे प्रान्त से गाय बाहर निर्यात होंगी और वहां गोमांस पीपों में बन्द होकर हमारे प्रान्त को आयात होगा। इस तरह से एक बड़ा भारी व्यापार चल जायगा और गोवध बन्दी की सरकार की मंशा पूरी नहीं

हो पायेगी। ऐसी हालत में इस पर माननीय मंत्री जी विचार कर लें कि यह कठिनाई कैसे दूर होगी और इस तरह से जो दोष आने वाला है वह कैसे दूर किया जा सकता है। अगर इस पर विचार करके माननीय मंत्री कोई उपाय निकाल लें तब तो हो सकता है कि इस संशोधन को न माना जाय अन्यथा इस संशोधन को मान लेने से यह त्रुटि दूर हो सकती है। इस सम्बन्ध में इस संशोधन के लिये मैं श्री रणंजय सिंह जी से वापस लेने को कहूं इस से पूर्व मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)---श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रणंजय सिंह जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। निवेदन यह है कि जब किसी ऐक्ट में कोई शब्द की परिभाषा की जाती है उसकी परिभाषा इस तरह से रखी जाती है कि हर एक व्यक्ति उसको अच्छी तरह से समझ सके। इस बिल के अन्दर जो गोमांस की परिभाषा रखी गयी है वह इतनी ही हर एक व्यक्ति समझ सकता है कि गोमांस गाय के मांस को कहते हैं। बाकी शब्द जो उसके आगे "किन्तु" से लेकर आखिर तक रखे हुये हैं वह निरर्थक जान पड़ते हैं।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

यह परिभाषा जो इस बिल में दी हुयी है वह उसी प्रकार से है जैसे हम यह कहें कि आम उसे कहते हैं जो आम के वृक्ष से पैदा होता है, परन्तु अगर आम टीन में रख दिया जाय तो वह आम नहीं है। अमरूद उसे कहते हैं जो अमरूद के वृक्ष से पैदा होता है, मगर यदि उसको टीन में रख दिया जाय तो वह अमरूद नहीं है .....

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की हत्या का समाचार

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप इस समय अपना भाषण स्थगित कर दें। मेरे पास जो एक खबर आयी है उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी अपना संक्षेप में वाकयात पर बयान देंगे।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---श्रीमन्, अभी यह खबर आयी है कि पंडित भगवती प्रसाद शुक्ल, एम० एल० ए० (बाराबंकी) को कुछ लोगों ने बल्लम और लाठियों से बाराबंकी में मार डाला है। अभी पूरी डिटेल हमारे पास नहीं है। केवल इतनी ही खबर आयी है। मैं अध्यक्ष महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि आज यह सदन बरखास्त कर दिया जाय और कल जब पूरे वाकयात मालूम हो जावेंगे तो इस सदन में रेफ्रेंस किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---माननीय भगवतीप्रसाद जी, ऐसा मालूम होता है कि आज यहां उपस्थित थे और यहां से अपनी हाजिरी देकर तत्काल कोई केस था या क्या था, इसलिये वह चले गये, क्योंकि रजिस्टर में हाजिरी के उनके दस्तखत हैं। ऐसी अवस्था में यदि सदन का ऐसी प्रथा स्वीकार करने का विचार है कि अगर सदन के चलते हुये किसी माननीय सदस्य की हत्या की खबर प्राप्त हो जाय तो उस दिन सदन उठ जाय और कार्य स्थगन कर दे और दूसरे दिन पूरी बात मालूम हो जाने के बाद उसके सम्बन्ध में रेफ्रेंस हो जाय, तो मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति नहीं होगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, जो आपकी इच्छा। मैं समझता हूं कि वैसा ही करना चाहिये। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---हम अपना कार्य-स्थगन करते हैं और कल जब मालूमात हो जावें तो उसके ऊपर रेफ्रेंस वगैरह और अन्य कार्यवाही की बात होगी।

(इसके बाद सदन ४ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,

७ सितम्बर, १९५५।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८३ पर)

सूची

क्रम संख्या	मंडियों के नाम	खरीदारी लागू रहने की अवधि	खरीदी गई ज्वार के आंकड़े (मनों में)	भाव प्रति मन
१	मौदहा	७ मई, १९५५ से १६ जून, १९५५ तक	७५,८५३	५ रु० ८ आना
२	भरवा सुमेरपुर	१३ मई, १९५५ से १६ जून, १९५५ तक	१६,३९३	५ रु० ८ आना
३	महोबा	१४ मई, १९५५ से १६ जून, १९५५ तक	२०,४५३	५ रु० ८ आना

अपर पुस्तक विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९० पर)

सूची

चालू वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित उद्योग उनके आगे लिखे हुये स्थानों में चालू करने का विचार है अथवा चालू हो गये हैं--

१--हस्त कर्घा योजना के अन्तर्गत ३ सेल्स-डिपो उन्नाव, शाहजहांनपुर और लखीमपुर में खोले गये हैं तथा ३२ अन्य स्थानों में खोले जाने का विचार है। स्थान अभी निश्चित नहीं किये गये हैं। २५ डाई हाउस खोले जाने का आयोजन है जिनके लिये स्थानों का चुनाव अभी नहीं हुआ है। ६५ उत्पादन समितियां खोलने का लक्ष्य है जिनमें से १४ समितियां छत्तरपुर, (आजमगढ़), नोरानीपुर(गाजीपुर), अमरोहा, हापुड़, शहारतगढ़ (बस्ती), बन्सधि (बलिया), शेरपुर (जौनपुर), पुरेना (बस्ती), बनारस, फुलपुर, (आजमगढ़), मसवंतनगर (इटावा,) इटावा, फर्रुखाबाद में खोली जा चुकी हैं। अन्य समितियां खोलने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है। २ मीडियम डाई हाउस राज्य के पश्चिमी तथा पूर्वी भाग में खोलने का आयोजन है।

२--निम्नलिखित स्थानों पर नये शिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र खोलने का आयोजन है--

१--लकड़ी पर रंगाई का केन्द्र, नगीना।
२--सिलाई केन्द्र, आगरा।
३--दरी बुनाई केन्द्र, फतेहपुर सीकरी।
४--कम्बल बुनाई केन्द्र, मिर्जापुर (इंस्टीट्यूट औरतों के लिये)
५--सिलाई केन्द्र, कानपुर।
६--चर्मकला केन्द्र, उरई।
७--काष्ठ कला केन्द्र, कायमगंज।
८--सिलाई केन्द्र, गोरखपुर।
९--धातु कला केन्द्र, इलाहाबाद।
१०--कालीन केन्द्र, अल्मोड़ा (इसका विस्तार किया जा रहा है।)
११--मूंज टोकरी केन्द्र, महेवा (इलाहाबाद)।

३--ऐग्रीकल्चर (Agriculture) के लिये सुआर (रामपुर) तथा हल्दवानी क्षेत्रों में केन्द्र खोले जा रहे हैं।

४--चर्म विकास योजना के अन्तर्गत मऊ और सरायमीर जिला आजमगढ़ में चर्म शोधन केन्द्र खोले जाने का विचार है। यदि सम्भव होगा तो और केन्द्र भी खोले जाने पर विचार किया जायगा।

५--सामुदायिक योजना के अन्तर्गत ३४ शिक्षा एवं उत्पादन केन्द्र भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिये खोले जाने का प्रश्न विचाराधीन है। २६ केन्द्र स्त्रियों को दर्जीगीरी व कढ़ाई आदि सिखाने के लिये आयोजन है।

६--ऊन योजना के अन्तर्गत हिन्द तिब्बतीय क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार से बुनाई तथा कताई केन्द्र खोले जायेंगे--

स्थान			बुनाई केन्द्र	कताई केन्द्र
अल्मोड़ा	..	..	३	१२
पौढ़ी गढ़वाल	..	..	२	८
टेहरी गढ़वाल	..	..	२	८

इसके अतिरिक्त ललितपुर (झांसी) में एक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र खोला जायगा ।

७—गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत कानपुर में चर्म सम्बन्धी सामान के लिये तथा आगरा में दरियों के लिये केन्द्र खोले जाने का आयोजन है ।

८—खादी योजना के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में ६० खादी केन्द्र खोले जाने का आयोजन है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९७ पर)

अफसरों की सूची जिनको विशेष वेतन दिया जाता है—

नाम	संख्या		
(१) अतिरिक्त विकास आयुक्त	१	२५० रुपया प्रतिमास	प्रति व्यक्ति
(२) उप विकास आयुक्त (जोनल)	४	१५० रुपया प्रतिमास	,,
(३) उप विकास आयुक्त (जनरल)	१	२०० रुपया प्रतिमास	,,
(४) सहायक विकास आयुक्त	११	१०० रुपया प्रतिमास	,,
(५) सहायक विकास आयुक्त (जनरल)	१	१५० रुपया प्रतिमास	,,
(६) डी० पी० ओ०/पी० ई० ओ०	३०	१०० रुपया प्रतिमास	,,
(७) जिला नियोजन अधिकारी	२०	७५ रुपया प्रतिमास	,,
(८) डिप्टी पी० ओ०	२६	७५ रुपया प्रतिमास	,,
(९) प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऐग्रीकल्चर स्कूल तथा ट्रेनिंग सेंटर	३	५० रुपया प्रतिमास	,,
कुल ..	९०		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ क। उत्तर पीछे पृष्ठ २९७ पर)

सूची

	तहसील मोरानीपुर	तहसील मोड़
१ सड़कें—		
(क) कच्ची	७ मील १ फ०	४० मील
(ख) पक्की	१/२ मील	४ मील

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६७ पर)

तहसील मड़ियाहूं में श्रमदान द्वारा किये गये कार्य का विवरण

क्रम-संख्या	कार्य का विवरण	नाम ग्राम जहां कार्य किया गया	कार्य जो किया गया		
			मील	फ०	ग०
१	सड़क निर्माण (कच्ची)				
		गोठाम ..	—	६	—
		पाली ..	—	६	—
		सरसराखास ..	—	—	३०
		हरबुआरी ..	—	४	—
		कान्हबशीरपुर ..	१	—	—
		निगोह ..	—	—	५००
		चतुर्भुजपुर ..	—	४	—
		पारियत ..	—	४	—
		आदमपुर ..	—	४	—
		आशापुर ..	१	३	—
		सोतीपुर ..	—	—	२५०
		बनीडीह ..	२	—	—
		परानपुर ..	१	४	—
		भिउरी ..	१	—	—
		पचौली ..	—	२	—
		असवा ..	—	२	—
		बिजोगिरि ..	३	—	—
		गौरी पट्टी ..	—	२	—
		निजामुद्दीनपुर ..	—	५	—
		कसनही ..	—	५	—
		मलाई ..	—	४	—
		चकमलहि ..	—	२	—
		दीनापुर ..	—	२	—
		कसा ..	—	४	—
		मैजसिल ..	३	—	—
		कुरेसवा ..	१	—	—
		बनकट ..	४	३	१५०
		रखवा ..	—	४	—
		महमूदपुर ..	१	—	—
		बीकापुर ..	—	४	—
		तरती ..	१	—	—
		सदुलहा ..	—	३	—
		बराह ..	—	४	—
		कशौदी ..	—	२	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	नाम ग्राम जहां कार्य किया गया		कार्य जो किया गया		
				मी०	फ०	ग०
१	सड़क निर्माण (कच्ची) (क्रमशः)					
		कसेरू	..	१	—	—
		बहुरी	..	—	३	—
		बल्लीपुर	..	—	२	—
		गुलालपुर	..	—	२	—
		सुरेरी	..	—	६	—
		राईपुर	..	—	४	—
		जगदीशपुर	..	—	३	—
		मलेथ	..	—	६	—
		हीरोपट्टी	..	—	—	२२०
		हथिया डोह	..	—	२	—
		पाली	..	—	६	—
		उत्तर पट्टी	..	—	२	—
		हरिहरपुर	..	—	२	—
		बेनीपुर	..	१	—	—
		सकरा	..	२	—	—
		सरायडीह	..	—	२	—
		योग	..	४२	४	४०
२	सड़क मरम्मत (कच्ची)	सुरैया	..	—	४	—
		नेवादा	..	—	३	—
		तरतीइटायें	..	४	—	—
		गद्दीपुर	..	१	४	—
		मुस्तफाबाद	..	—	४	—
		कनावा, बिजुरगा, जोगीपुर	..	२	—	—
		पड़राव	..	—	४	—
		अहिरौली	..	—	४	—
		रानीपुर	..	—	४	—
		चकिया करखा	..	१	—	—
		सराय कालीदास	..	—	२	—
		चकबढ़बल	..	—	३	—
		भरसर्थ	..	—	३	—
		फतेपुर	..	—	३	—
		रानीपुर	..	—	४	—
		बरसट्टी	..	—	२	—
		कुम्भ	..	—	४	—
		भागीरथपुर	..	१	—	—

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	नाम ग्राम जहां कार्य किया गया	कार्य जो किया गया		
			मी०	फ०	ग०
२	सड़क मरम्मत (कच्ची) (क्रमशः)				
		चौथी ..	—	४	—
		कटघरा ..	१	—	—
		सेउर ..	—	२	—
		बारीगांव ..	१	—	—
		रसूलपुर ..	१	—	—
		मौकलेपुर ..	२	—	—
		कुतुबपुर ..	१	—	—
		ताजुद्दीनपुर ..	—	२	—
		महमूदपुर ..	—	२	—
		अहिरोली ..	—	४	—
		गनापुर ..	—	२	—
		भरथीपुर ..	१	१	—
		रघुनाथपुर ..	—	४	—
		भवानीपुर ..	—	२	—
		टेकारडीह ..	—	४	—
		रामपुर निस्फी ..	—	३	—
		भानपुर ..	—	४	—
		भदखिने ..	—	३	—
		घोरहा ..	—	—	१००
		शुदनीपुर ..	—	१	—
		उत्तरपट्टी ..	—	६	—
		करमौलोकसा ..	—	६	—
		रसुलहा ..	—	४	—
		बनवरा ..	—	३	—
		तिऊरान ..	—	३	—
		राधोराम पट्टी ..	१	—	—
		कोचारी ..	—	४	—
		पाली ..	—	—	२००
		जेसिहपुर ..	—	४	—
		बल्ली पुर ..	—	२	—
		काजीहद ..	—	४	—
		हथेरा ..	—	२	—
		नोनापरी ..	१	—	—
		कमरुद्दीनपुर ..	—	४	—
		पृथ्वीपुर ..	१	४	—
		नरपुर ..	१	—	—
		हरिहरपुर ..	१	—	—
		अड़ियार ..	१	४	—
		जोगापुर ..	—	२	—
		नोनरा ..	—	४	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	नाम ग्राम जहां कार्य किया गया	कार्य जो किया गया		
			मील०	फ०	ग०
२	सड़क मरम्मत (कच्ची) (क्रमशः)				
		पट्टीजियाराम ..	—	४	—
		भर्गेसरा ..	—	४	—
		गोपालापुर ..	१	—	—
		भानीपुर ..	—	३	—
		बसहरी ..	—	६	—
		भन्नोर ..	—	४	—
		धनीपुर ..	—	२	—
		रसुलहा ..	१	४	—
		परियत ..	—	२	—
		फतुही कला ..	—	२	—
		शाहीपुर ..	—	१	—
		फजलहा ..	१	—	—
		रसुलहा ..	—	४	—
		धनुहा ..	—	४	—
		दताव ..	—	४	—
		खुडरी ..	—	४	—
		बाराबंकी ..	—	४	—
		सपही ..	—	६	—
		आलमगंज ..	—	४	—
		बाजिदपुर ..	—	४	—
		निज़ामपुर ..	४००	—	—
		बढ़ा ..	—	६	—
		दसरथपुर ..	—	६	—
		बघनरी ..	—	—	२९०
		भवराब ..	—	१	—
		मलाई ..	—	—	७०
		जमनीपुर ..	—	२	—
		मीठे पार ..	—	४	—
		गनापुर ..	—	४	—
		जमालापुर ..	—	२	—
		जगदीशपुर ..	१	३	—
		मनापुर ..	—	२	—
		गनेशपुर ..	—	२	—
		अजरा ..	—	२	—
		पपराबन ..	१	—	—
		कटवार ..	—	३	—
		रामपुर ..	—	३	—
		पोहा ..	१	—	—
		बेलवा ..	१	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	नाम ग्राम जहां कार्य किया गया		कार्य जो किया गया		
				मी०	फ०	ग०
२	सड़क मरम्मत (कच्ची) (क्रमशः)	साहीपट्टी	..	—	—	५००
		पट्टी	..	—	४	—
		पल्टेपुर	.	२	—	—
		गहलोई	..	—	—	१९०
		योग	..	६५	५	२१०
३	नाली निर्माण	बनीडीह	..	—	—	२२०
४	बांध मरम्मत	गन्धौनी	..	१५०	—	—
५	तालाब जो गहरे किये गये	बल्लीपुर	..	—	—	१
		घरमपुर	..	—	—	१
		कनाबा	..	—	—	१
		बनीडीह	..	—	—	२
		सेहरा	..	—	—	१
		पिलेसवा	..	—	—	१
		खुइरी	..	—	—	२
		योग	..	—	—	९
६	तालाब मरम्मत	औरइया	..	—	—	१
७	घूरे के गड्ढे	बनी डीह	..	—	—	२०
		असवा	..	—	—	१०
		योग	..	—	-	३१
८	वृक्षारोपण के थाले	परानपुर	..	—	—	२५
		फुननफेर	..	—	—	१०
		लेखाब	..	—	—	२०
		मधुईपुर	..	—	—	१०
		सरैया	..	-	—	५
		जमुआ	..	—	—	५
		योग	.. ..	—	—	७५

पी० एस० यू० पी०—ए०-पी०-७० एल० ए०—१९५५—७९६ ।

विधान सभा

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश